



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. 293(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियम विरचित करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर, परिनियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.**—(1) इन परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—
 - (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 अभिप्रेत हैं ;
 - (ख) किसी संस्थान के संबंध में “प्राधिकारियों”, “अधिकारियों” और “संकाय सदस्यों” से संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और संकाय सदस्य अभिप्रेत हैं ;
 - (ग) “बोर्ड” से संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है;
 - (घ) “निर्माण और संकर्म समिति” से प्रथम परिनियम संख्या 12 के अधीन गठित संस्थान की निर्माण और संकर्म समिति अभिप्रेत है ;
 - (ङ) “केन्द्रीय सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
 - (च) “परिषद” से संस्थानों की परिषद अभिप्रेत है;

- (छ) “विभाग या विद्यालय या केंद्र” से, यथास्थिति, अकादमिक विभाग या विद्यालय, जिसे केंद्र ने शिक्षण देने के लिए या किसी विशिष्ट क्षेत्र या शिक्षा शाखा या अंतर-विषयक प्रकृति से संबंधित अकादमिक और अनुसंधान क्रियाकलापों का पालन करने के लिए या को सुकर बनाने के लिए स्थापित किया ;
- (ज) “निदेशक” से परिनियम 17 के अधीन निर्दिष्ट संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;
- (झ) “वित्त समिति” से परिनियम 10 के अधीन गठित संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ञ) यथास्थिति, विभाग या विद्यालय या केंद्र के संबंध में ‘प्रमुख’ या ‘अध्यक्ष’ से उसका प्रमुख अभिप्रेत है;
- (ट) “संस्थान” से भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर अभिप्रेत है ;
- (ठ) “कार्यक्रम” से संस्थान का कोई शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है ;
- (ड) “नियम” से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है ;
- (ढ) “अनुसूची” से इन परिनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ण) “सिनेट” से परिनियम 7 के अधीन निर्दिष्ट संस्थान का सिनेट अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. प्राधिकारी.—संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :--

- (i) शासक बोर्ड, जो अधिनियम की धारा 11क के अधीन गठित किया जाए ;
- (ii) सिनेट, जो अधिनियम की धारा 14 के अधीन गठित की जाए ;
- (iii) वित्त समिति, जो प्रथम परिनियम 10 के अधीन गठित की जाए ; और
- (iv) निर्माण और संकर्म समिति, जो प्रथम परिनियम 12 के अधीन गठित की जाए ।

4. शासक बोर्ड और उसके अधिवेशन.—(1) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित करने के लिए हकदार निकायों को उस तारीख से, जिसको ऐसे आमंत्रण कुल-सचिव द्वारा जारी किए गए हों, आठ सप्ताह से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए उसके द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे और बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियां ऊपर यथा विनिर्दिष्ट के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को अपनाते हुए भरी जाएंगी ।

- (2) बोर्ड साधारणतः एक कलेंडर वर्ष के दौरान चार बार अधिवेशन करेगा ।
- (3) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के चार से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्षा पर बुलाए जाएंगे ।
- (4) बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति छह सदस्यों से होगी :

परंतु यदि अधिवेशन गणपूर्ति में अभाव के कारण स्थगित होता है तो वह आगामी सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान पर या ऐसे अन्य दिन, समय या स्थान पर, जैसा अध्यक्ष अवधारित करे, होगा और यदि ऐसे किसी अधिवेशन में गणपूर्ति, अधिवेशन बुलाए जाने के लिए अनुसूचित समय से आधे घंटे के भीतर, नहीं होती है तो उपस्थित सदस्य से गणपूर्ति होगी ।

- (5) बोर्ड के अधिवेशनों में विचार किए गए सभी प्रश्न अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और यदि मत समान रूप से विभाजित हो जाते हैं तो अध्यक्ष निर्णायक मत रखेगा ।
- (6) अध्यक्ष, यदि उपस्थित है तो, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा :

परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे ।

- (7) प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना, कुल-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को, उसमें अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय वर्णित करते हुए अधिवेशन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, भेजी जाएगी :

परंतु अध्यक्ष, अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ।

- (8) सूचना को बोर्ड के कार्यालय में यथा अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर, दस्ती परिदत्त की जा सकेगी या पंजीकृत डाक द्वारा या ई-मेल अथवा फैक्स द्वारा भेजी जा सकेगी और इस प्रकार भेजी गई सूचना को उस समय सम्यक्त रूप से परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसको सूचना डाक के साधारण अनुक्रम में परिदत्त की गई होती ।
- (9) कार्यसूची अधिवेशन से कम से कम दस दिन पूर्व सभी सदस्यों को कुल-सचिव द्वारा परिचालित की जाएगी ।
- (10) कार्यसूची में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव सूचना अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व कुल-सचिव के पास पहुंच जानी चाहिए:

परंतु अध्यक्ष ऐसी किसी मद के, जिसके लिए सम्यक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सम्मिलित किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

- (11) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा ।
- (12) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाही के कार्यवृत्त कुल-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे और उनको प्रस्तावित किसी संशोधन के साथ पुष्टिकरण के लिए बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसके समक्ष रखे जाएंगे और कार्यवृत्तों की पुष्टि और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उनको कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा ।
- (13) कार्यवृत्त पुस्तक को कार्यालय समय के दौरान सभी समय पर बोर्ड और परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा ।
- (14) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड से अनुपस्थिति इजाजत के बिना लगातार तीन अधिवेशनों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।
- (15) वित्त से संबंधित कोई विषय बोर्ड के समक्ष तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उस पर वित्त समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो ।
- (16) कोई ऐसा विषय, जिस पर निर्माण और संकर्म समिति द्वारा पहले विचार किया जाना चाहिए, बोर्ड के समक्ष तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उस पर बोर्ड का प्रशासनिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् निर्माण और संकर्म समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो ।

5. बोर्ड की शक्तियां--अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त बोर्ड निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा :-

- (i) संस्थान में किसी पद की नामावली को समाप्त करना, पुनः अभिहित या परिवर्तित करना ;
- (ii) समय-समय पर कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से परिनियम बनाना, उन्हें उपांतरित या समाप्त करना ;

परंतु नए परिनियम, विद्यमान परिनियमों में जोड़ा जाना या उनमें संशोधन केवल कुलाध्यक्ष की सहमति के पश्चात् लागू होंगे ; और

- (iii) संस्थान की वित्त समिति या सिनेट की सिफारिश पर सभी या किन्हीं अध्यादेशों को इस शर्त के अधीन बनाया जाना, उपांतरित और समाप्त किया जाना कि ऐसा बनाया जाना, उपांतरित और समाप्त किया जाना अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के उल्लंघन में नहीं होगा ।

6. अधिप्रमाणन.—बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक या कुल-सचिव या किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

7. **सिनेट.**—(1) सिनेट, जब कभी आवश्यक हो, बुलाई जाएगी किंतु साधारणतः एक कलेंडर वर्ष के दौरान चार बार से कम नहीं बुलाई जाएगी।

- (2) सिनेट के अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा या तो अपनी स्वप्रेरणा से या सिनेट के एक बटा पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर बुलाया जाएगा।
- (3) अध्यक्षता पर आयोजित अधिवेशन, कार्यसूची की केवल उन मदों पर, जिनके लिए अध्यक्षता दी गई है, विचार-विमर्श करने के लिए विशेष अधिवेशन होगा और उसकी आवश्यक रूप से निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जाएगी तथा अध्यक्षता अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा सुविधाजनक तारीख और समय पर बुलाया जाएगा।
- (4) सिनेट के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से सिनेट के अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।
- (5) निदेशक, सिनेट के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा :

परंतु निदेशक की अनुपस्थिति में, उप निदेशक अध्यक्षता करेगा और निदेशक तथा उप निदेशक, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

- (6) कार्यसूची के साथ प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सिनेट के सदस्यों को कुल-सचिव द्वारा परिचालित की जाएगी :

परंतु सिनेट का अध्यक्ष किसी ऐसी मद को, जिसके लिए सम्यक्त सूचना नहीं दी गई है, सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

- (7) उप परिनियम (6) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक, विशेष मामलों पर विचार करने के लिए अल्पसूचना पर सिनेट का कोई आपात अधिवेशन बुला सकेगा।
- (8) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सिनेट के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।
- (9) सिनेट के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, शैक्षणिक संकाय अध्यक्ष के परामर्श से कुल-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित सिनेट के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे ;

परंतु यदि सिनेट ऐसे परिचालन को संस्थान या भारत सरकार को हितों के प्रतिकूल समझता है तो ऐसा कोई कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया जाएगा।

- (10) कार्यवृत्त प्रस्तावित संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ सिनेट के आगामी अधिवेशन में पुष्टिकरण के लिए रखे जाएंगे और कार्यवृत्तों की पुष्टि और सिनेट के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उनको कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा, जो कार्यालय समय के दौरान सभी समय पर सिनेट के सदस्यों, बोर्ड और परिषद् के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

8. **सिनेट की शक्तियां.**—अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेट को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

- (i) विभिन्न विभागों और केंद्रों के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययनों हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण को विरचित और पुनर्विलोकित करना ;
- (ii) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाएं करना, परीक्षकों, अनुसूचिकों, सारणीकारों की नियुक्ति करना और परीक्षाओं से संबंधित अन्य विषय ;
- (iii) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं या उपाधियों को प्रदान या अनुदान करने से संबंधित बोर्ड को सिफारिशें करना ;
- (iv) विभागों या केंद्रों के कार्य से संबद्ध शैक्षणिक विषयों पर सिफारिशें करने के लिए संस्थान के विभागों या केंद्रों के लिए सलाहकार समितियां या विशेषज्ञ समितियां या दोनों की नियुक्तियां करना ;
- (v) ऐसे विनिर्दिष्ट तथा महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयों पर, जो सिनेट द्वारा किसी ऐसी समिति को निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देने के लिए सिनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य शिक्षकों और बाहर से विशेषज्ञों में से समितियां नियुक्त करना ;

- (vi) यथास्थिति, विभिन्न विभागों या विद्यालय या केंद्रों से संलग्न सलाहकार समितियों और उनकी विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना तथा ऐसी कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिशें करना सम्मिलित हैं), जो प्रत्येक मामले में आवश्यक समझी जाए ;
- (vii) विभागों या केंद्रों के क्रियाकलाप का कालिक पुनर्विलोकन करना और समुचित कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिशें करना सम्मिलित हैं) ;
- (viii) संस्थान के पुस्तकालय के कार्य का अधीक्षण करना ;
- (ix) संस्थान के भीतर अनुसंधान और शैक्षणिक विकास या क्रियाकलाप का संवर्द्धन करना और जब कभी आवश्यक समझा जाए, उनमें लगे व्यक्तियों से ऐसे अनुसंधान या शैक्षणिक विकास या कार्रवाई पर रिपोर्टें मांगना ;
- (x) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और आवासिक होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपबंध करना ;
- (xi) संस्थान के छात्रों की सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों को तैयार करना ;
- (xii) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और ऐसी शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार देना, जो पुरस्कारों से संलग्न की जाएं ;
- (xiii) यथास्थिति, विभागों या विद्यालयों या केंद्रों के सृजन या पुनःसंरचना और विद्यमान विभागों, विद्यालयों या केंद्रों की समाप्ति के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना ;
- (xiv) राज्य या देश के विभिन्न भागों या देश के बाहर दूरस्थ शिक्षण रीति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ; और
- (xv) सिनेट के अधिवेशन में नीति या अनुशासनिक विषयों से असंबद्ध सामान्य प्रकृति के विचार-विमर्श के दौरान दो छात्र प्रतिनिधियों तक को आमंत्रित करना ।

9. **सिनेट के अध्यक्ष का आपात स्थिति में शक्तियों का प्रयोग किया जाना.**—यदि सिनेट के अध्यक्ष की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें **rqjar** कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई, जो वह आवश्यक समझे, कर सकेगा और सिनेट के अगले अधिवेशन में उसके अनुमोदन के लिए उसकी रिपोर्ट करेगा ।

10. **वित्त समिति.**—(1) प्रत्येक संस्थान के लिए एक वित्त समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (i) शासक बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष ;
- (ii) निदेशक, पदेन सदस्य ;
- (iii) संस्थान से व्यवहार करने वाला संयुक्त सचिव या उसका नाम निर्देशिती और वित्त सलाहकार (मानव संसाधन विकास) या उसके नामनिर्देशिती सदस्य ;
- (iv) बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति ; और
- (v) कुल सचिव, पदेन सदस्य-सचिव :

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से किसी विशेषज्ञ को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा और ऐसे विशेष आमंत्रित व्यक्ति को मतदान के अधिकार नहीं होंगे ।

- (2) सभी वित्तीय प्रस्तावों का विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा ।
- (3) वित्त समिति, अधिमानतः शासक बोर्ड के अधिवेशन से पूर्व एक वर्ष में साधारणतः चार बार अधिवेशन करेगी ।
- (4) वित्त समिति की बैठक की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी ।

- (5) अध्यक्ष, वित्त समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।
- (6) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्तों की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशनों को लागू इन परिनियमों के उपबंध, वित्त समिति के अधिवेशन के संबंध में यथासाध्य अनुसरित किए जा सकेंगे ।
- (7) वित्त समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्तों की एक प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।

11. वित्त समिति की शक्तियां.—वित्त समिति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

- (i) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की परीक्षा और संवीक्षा करना तथा बोर्ड को सिफारिशें करना ; और
- (ii) बोर्ड को या तो बोर्ड या निदेशक की पहल पर या स्वेच्छा से संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर अपने विचार देना और अपनी सिफारिशें करना ।

12. निर्माण और संकर्म समिति.—प्रत्येक संस्थान के लिए एक निर्माण और संकर्म समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (i) निदेशक, पदेन अध्यक्ष ;
 - (ii) मंत्रालय में संस्थान का कार्य करने वाला निदेशक या उप सचिव या उसका नाम निर्देशिती या मंत्रालय में संस्थान का वित्तीय कार्य करने वाला निदेशक या उप सचिव या उसका नाम निर्देशिती केंद्रीय सरकार के पदेन सदस्यों के रूप में ;
 - (iii) शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य- सदस्य ;
 - (iv) कुल सचिव, पदेन सदस्य-सचिव ;
 - (v) संकायाध्यक्ष, योजना और विकास या समान स्थिति पर - सदस्य;
 - (vi) केंद्रीय या राज्य सरकार या प्रख्यात स्वायत्त निकाय के सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी खंड, प्रत्येक से एक सदस्य - सदस्य ।
- (2) निर्माण और संकर्म समिति, जितनी बार आवश्यक हो, अधिवेशन करेंगी, किंतु साधारणतः एक वर्ष में चार बार से कम नहीं होगी ।
 - (3) निर्माण और संकर्म समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी ।
 - (4) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्तों की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशन को लागू इन परिनियमों के उपबंध, निर्माण और संकर्म समिति के अधिवेशनों के संबंध में भी यथासाध्य अनुसरित किए जाएंगे ।
 - (5) निर्माण और संकर्म समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति विनिर्दिष्ट प्रस्ताव या प्रस्तावों पर, जिनके लिए बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है, वित्त समिति की सिफारिशों के साथ, बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी ।

13. निर्माण और संकर्म समिति की शक्तियां और कृत्य.—(1) निर्माण और संकर्म समिति, --

- (i) बोर्ड के निदेशों के अधीन बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी के पश्चात् सभी प्रमुख कार्यों का सन्निर्माण कराएगी ;
- (ii) संस्थान के अनुमोदित बजट उपबंधों के भीतर लघु कार्यों और मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी देने की शक्ति होगी ;

- (iii) भवनों की लागत और अन्य पूंजीगत कार्य, लघु कार्य, मरम्मत, अनुरक्षण और इसी प्रकार के कार्यों की लागत का प्राक्कथन तैयार करवाएगी और लघु संकर्म, लघु मरम्मतों और ररखाव के लिए लागत प्राक्कलनों का अनुमोदन करेगी ;
- (iv) डिजाइन की तकनीकी संवीक्षा करने प्राक्कथनों और सामग्री के विनिर्देशों को, जो आवश्यक समझे जाएं, बनाने के लिए उत्तरदायी होगी ;
- (v) उपयुक्त ठेकेदारों की भर्ती और टेंडरों की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी तथा जहां आवश्यक हो वहां विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने की शक्ति होगी ;
- (vi) टेंडर के अंतर्गत नहीं आने वाली दरों को तय करने और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों को तय करने की शक्ति होगी ।
- (2) यदि, निर्माण और संकर्म समिति के अध्यक्ष की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे **rqjar** कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा और निर्माण और संकर्म समिति तथा बोर्ड को उनके अगले अधिवेशन में उसकी रिपोर्ट देगा ।
- (3) निर्माण और संकर्म समिति ऐसे कृत्य का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपी जाएं ।
- 14. अध्यक्ष, शासक बोर्ड की शक्तियां.—**अधिनियम में उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त, शासक बोर्ड के अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—
- (i) वह चयन समिति की सिफारिशों पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पदों के संबंध में, जिन पर बोर्ड द्वारा नियुक्तियां की जा सकती हैं, वेतनमान के न्यूनतम स्तर से उच्चतर स्तर पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को नियत करने की शक्ति रखेगा ;
- (ii) ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए, भारत से बाहर प्रशिक्षण के लिए या किसी शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए संस्थान के स्टाफ के सदस्यों को प्रतिनियुक्त करना, बशर्ते कि निदेशक द्वारा किसी भी दिशा में विदेश के दौरे को अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ;
- (iii) वह केंद्रीय सरकार की ओर से संस्थान और निदेशक या उप निदेशक के बीच सेवा संविदा को निष्पादित करना ; और
- (iv) आपात मामलों में कार्रवाई करना और पुष्टिकरण और अनुसमर्थन के लिए ऐसी कार्रवाई से बोर्ड को सूचित करना ।
- 15. यात्रा भत्ते और बैठक फीस.—**अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन गठित या बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्य और संस्थान के अन्य प्राधिकारी तथा समितियों के सदस्य प्राधिकरणों और उनकी समितियों के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता और बैठक फीस के लिए हकदार होंगे ।
- 16. विभाग, विद्यालय या केंद्र.—**संस्थान उतने विभागों, विद्यालयों या केंद्रों ऐसे नामों से, जैसा बोर्ड द्वारा सिनेट की सिफारिशों पर, समय-समय पर, बजटीय उपबंधों के भीतर अनुमोदित करे, गठित होगा ।
- 17. निदेशक और उसकी शक्तियां.—**(1) संस्थान का निदेशक, कुलाध्यक्ष द्वारा, संविदा आधार पर, उसके द्वारा गठित की गई ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव सहित तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले कम से कम पांच सदस्यों से अध्यक्ष सहित मिलकर बनेगी, नियुक्त किया जाएगा ।
- (2) निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्ररूप में संस्थान तथा निदेशक के बीच में किए गए सेवा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा ।
- (3) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बनाए गए बजट उपबंधों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाए, व्यय उपगत करने की शक्ति रखेगा ।

- (4) निदेशक, प्रत्येक मद के लिए केंद्रीय सरकार में विभाग के प्रमुख के लिए विनिर्दिष्ट सीमा तक आवर्ती बजट नियत करते हुए विभिन्न मदों के संबंध में निधियों का विनियोग करने की शक्ति रखेगा :
- परंतु ऐसे विनियोग में आगामी वर्षों में, बजट में कोई वृद्धि और कोई दायित्व अंतर्वलित नहीं करेगा :
- परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक विनियोग यथाशीघ्र बोर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा ।
- (5) निदेशक, ऐसे अनुबंधों के जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए जाएं अधीन रहते हुए दस हजार रुपए की सीमा तक के अप्रतिसंहृणीय नुकसान को और पच्चीस हजार रुपए की सीमा तक सामान्य टूट-फूट या अप्रयुक्त होने के कारण खोई हुई या सेवा के अयोग्य होने वाली भंडार की वस्तुओं के अवसूलीय मूल्य को अपलिखित करने की शक्ति रखेगा ।
- (6) निदेशक, ऐसे बेकार उपस्करों या भंडार की वस्तुओं को, जो निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई किसी समिति द्वारा पहचान की जाएं, संस्थान के समीप में किसी शैक्षणिक संस्थान को, उस सीमा तक, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाए, संदान देने की शक्ति रखेगा ।
- (7) निदेशक, जहां वह नियुक्ति प्राधिकारी है, चयन समिति की सिफारिशों पर इस अधिनियम या इन परिनियमों के उपबंध द्वारा उसमें निहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की गई नियुक्तियों के पदों के संबंध में, न्यूनतम वेतनमान से उच्चतर क्रम पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को, किंतु पांच वेतनवृद्धियों से अधिक अंतर्वलित न हो, नियत करने की शक्ति रखेगा ।
- (8) निदेशक, एक वर्ष से अनधिक के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर, जो बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाए, समय-समय पर आकस्मिकता के लिए संदत्त प्रयोगशालाओं में अध्यापन सहायक कर्मचारिवृंद, तकनीकी व्यक्तियों या तकनीकी अनुदेशकों और कुशल कर्मकारों का नियोजन करने की शक्ति रखेगा ।
- (9) निदेशक ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, भारत में कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने या प्रशिक्षण के अनुक्रम में उपस्थित होने के लिए भेजने की शक्ति रखेगा ।
- (10) निदेशक किसी भवन को किसी ऐसे प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए उसका सन्निर्माण किया गया था, अस्थायी आबंटन को मंजूर करने की शक्ति रखेगा ।
- (11) यदि कुल-सचिव किसी कारण से एक मास से अनधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो निदेशक कुल-सचिव के किन्हीं कृत्यों को, जैसा वह ठीक समझे, ग्रहण कर सकेगा या संस्थान के किसी संकाय-सदस्य या कर्मचारी को समनुदेशित कर सकेगा :
- परंतु यदि किसी समय कुल-सचिव की अनुपस्थिति एक मास से अधिक होती है तो बोर्ड, यदि ठीक समझता है तो, निदेशक को कुल-सचिव के कृत्य ग्रहण करने या समनुदेशित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।
- (12) संस्थान और निदेशक के बीच की संविदा के सिवाय संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं इस निमित्त पारित बोर्ड के संकल्प द्वारा लिखित में प्राधिकृत की जाएंगी और संस्थान के नाम में अभिव्यक्त करते हुए की जाएंगी तथा ऐसी प्रत्येक संविदा निदेशक द्वारा संस्थान की ओर से निष्पादित की जाएंगी किंतु निदेशक ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के संबंध में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।
- (13) निदेशक, मुख्यालयों से अपनी अनुपस्थिति के दौरान विशेष रूप से उप निदेशक को या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित संकाय अध्यक्षों या ज्येष्ठतम आचार्यों में से एक को कर्मचारिवृंदों का यात्रा भत्ता, आकस्मिकता और चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम मंजूरी देने को तथा इस निमित्त बिलों पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा ।
- (14) निदेशक, स्वविवेकानुसार से ऐसी समितियां, जो वह संस्थान के कृत्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समुचित समझे, गठित कर सकेगा ।
- (15) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में या अध्यक्ष के उसकी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से उसके कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ होने की दशा में निदेशक, अधिनियम की धारा 16 के अधीन अध्यक्ष को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

- (16) निदेशक, अधिनियम और परिनियमों के आधार पर उसमें निहित की गई उसकी किसी शक्ति, प्राधिकार या उत्तरदायित्व को बोर्ड के अनुमोदन से संस्थान के एक या अधिक शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारी के को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

18. उप निदेशक.—(1) उप निदेशक की नियुक्ति, बोर्ड द्वारा वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

- (2) उप निदेशक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा, जो बोर्ड की सिफारिश पर दो वर्ष या एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी।
- (3) उप निदेशक, अनुसूची (ख) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में संस्थान और उप निदेशक के बीच हुए सेवा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- (4) निदेशक की अनुपस्थिति या रिक्ति के दौरान उपनिदेशक, निदेशक की सभी शक्तियां रखेगा।
- (5) उप निदेशक, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यो तथा उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के अन्य संस्थानों सहित तथा औद्योगिक उपक्रमों और अन्य कर्मचारियों के साथ भी संपर्क बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा।

19. संकायाध्यक्ष—

- (1) संस्थान, सात से अधिक संकायाध्यक्षता स्थापित नहीं करेगा।
- (2) निदेशक, बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति करेगा।
- (3) संकायाध्यक्ष अपने पद को दो वर्षों के लिए धारित करेगा जिसको एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
- (4) संकायाध्यक्ष आचार्यों या सहयुक्त आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा।
- (5) संकायाध्यक्षों के बोर्ड कृत्य अनुसूची "ग" में प्रगणित किए गए हैं।

20. विभाग, विद्यालय या केंद्र के प्रमुख—

- (1) संस्थान का प्रत्येक विभाग या विद्यालय या केंद्र ऐसे प्रमुख के प्रभार में होगा जिसका निदेशक द्वारा उस विभाग या विद्यालय या केंद्र के आचार्यों और सहयुक्त आचार्यों में से चयन किया जाएगा :

परंतु यदि किसी विभाग या विद्यालय या केंद्र में कोई आचार्य या सहयुक्त आचार्य नहीं है तो निदेशक उस विभाग या विद्यालय या केंद्र के किसी सहायक आचार्य को विभाग या विद्यालय या केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

- (2) विभाग या विद्यालय या केंद्र का प्रमुख अपने पद को दो वर्ष की अवधि के लिए धारित करेगा :

परंतु अपने पद की अवधि समाप्ति के पश्चात् वह अपने उत्तरवर्ती की नियुक्ति तक पद पर बना रहेगा :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति किसी विभाग या विद्यालय या केन्द्र का लगातार तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रमुख नहीं होगा जब तक वह कम से कम द्वितीय अवधि के लिए विशेष रूप से नियुक्त न किया गया हो।

- (3) निदेशक छह मास से अनधिक की अवधि के लिए किसी विभाग, विद्यालय या केंद्र का अस्थायी प्रभार स्वयं ले सकेगा या किसी अन्य विभाग के उपनिदेशक या किसी आचार्य के प्रभार में सौंप सकेगा।
- (4) विभाग या विद्यालय या केंद्र का प्रमुख, निदेशक के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए विभाग के संपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) विभाग का प्रमुख यह देखने के लिए कर्तव्य द्वारा आवद्ध होगा कि संस्थान के प्राधिकरणों के और निदेशक के विनिश्चय निष्ठापूर्वक लागू किए जा रहे हैं। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको निदेशक द्वारा समनुदेशित किए जाएं।
- (6) जब विभाग, विद्यालय या केन्द्र के प्रमुख के पद पर नियुक्ति सम्यक् हो तब निदेशक इस प्रकार नियुक्त होने के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों की रजामंदी सुनिश्चित करेगा और साधारणतः पात्र तथा रजामंद व्यक्तियों में से चक्रानुक्रम द्वारा किसी व्यक्ति का चयन करेगा।

- (7) जब कभी चक्रानुक्रम के सिद्धांत से विचलित होना प्रस्तावित हो तब ऐसी नियुक्ति केवल अध्यक्ष, शासक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से की जाएगी तथा सिनेट और बोर्ड के आगामी अधिवेशनों में विचलन के कारणों सहित सिनेट और बोर्ड को रिपोर्ट भी किया जाएगा।

21. कुल-सचिव.—(1) कुल-सचिव, प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर पांच वर्ष से अनधिक की किसी नियत अवधि के लिए नियुक्त होगा।

- (2) एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर कुल सचिव के कार्यपालन का पुनर्विलोकन संविदा की शेष अवधि के जारी रखने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा किया जा सकेगा और तत्पश्चात्, बोर्ड जब कभी वह चाहे, कुल सचिव के कार्यपालन का पुनर्विलोकन कर सकेगा।
- (3) कुल-सचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी अन्य समितियों के जिसके लिए वह इस प्रकार कार्य करने को परिनियमों द्वारा अपेक्षित किया जा सकेगा, सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (4) कुल सचिव अपने सभी कृत्यों, जिसके अंतर्गत बोर्ड का सचिव भी है, के लिए संस्थान के निदेशक को रिपोर्ट करेगा।

22. कर्मचारिवृद्धों का वर्गीकरण—

- (1) आकस्मिक व्यय से संदत्त कर्मचारियों के मामले के सिवाय संस्थान के कर्मचारिवृद्ध निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे :—
- (i) **शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध—**निदेशक, उप निदेशक, आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, प्रशिक्षण और स्थानन आचार्य और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं ;
- (ii) **तकनीकी कर्मचारी—**तंत्र प्रबंधक, तंत्र विश्लेषक, कार्यक्रमकर्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष, कार्यशाला अधीक्षक, सहायक कार्यशाला अधीक्षक, फोरमैन, तकनीकी, प्रशिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मैकेनिक, सर्वेक्षक, तकनीकी सहायक, प्रारूपकार और ऐसे अन्य तकनीकी पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए : और
- (iii) **प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृद्ध—**कुलसचिव, उपकुलसचिव और सहायक कुल सचिव, लेखा अधिकारी, संपरीक्षा अधिकारी, संपदा अधिकारी, कार्यपालक इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, कनिष्ठ इंजीनियर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सहायक, उद्यान सहायक या अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, भंडार अधिकारी, भंडारी, कार्यालय सहायक, आंकड़े प्रविष्टि प्रचालक और ऐसे अन्य प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारिवृद्ध जैसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं।
- (2) शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध के रूप में वर्गीकृत पद केवल प्रावकाश पद होंगे।

23. नियुक्तियां.—(1) संस्थान के पद अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे:

परंतु निदेशक या उप निदेशक के पदों से भिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती या प्रोन्नति वाले पदों के बीच अनुपात भर्ती नियमों के अनुसार होगी।

- (2) पदों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होगा।
- (3) नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम, लागू होंगे।
- (4) संस्थान के कर्मचारिवृद्धों में से सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन पदों को (संविदा आधार पर पदों से भिन्न) भरने के लिए चयन समितियों का ऐसी रीति से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर विभाग, भारत सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं, गठन किया जाएगा।
- (5) संस्थान के कर्मचारिवृद्धों में से सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन पदों को (संविदा आधार से भिन्न) भरने के लिए चयन समितियों का निम्नलिखित रीति से गठन किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की (निदेशक को छोड़कर) भर्ती के लिए या प्रोन्नति के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी:

(1)	निदेशक या उप निदेशक	अध्यक्ष
(2)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती	सदस्य
(3)	बोर्ड के दो नामनिर्देशिती जिसमें एक विशेषज्ञ होगा किंतु बोर्ड के सदस्य से भिन्न	सदस्य
(4)	संस्थान से बाहर का सिनेट का एक विशेषज्ञ नामनिर्देशिती	सदस्य
(5)	संबद्ध विभाग का प्रमुख (आचार्य के पद से भिन्न के लिए)	सदस्य

- (ख) तकनीकी पदों के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

(1)	निदेशक या उप निदेशक	अध्यक्ष
(2)	संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(3)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती	सदस्य
(4)	संबद्ध विभाग का प्रमुख	सदस्य
(5)	कुल सचिव	सदस्य

- (ग) प्रशासनिक और अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

1)	निदेशक या उप निदेशक	अध्यक्ष
(2)	संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(3)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती	सदस्य
(4)	कुल सचिव	सदस्य

- (घ) ज्येष्ठ प्रशासनिक और सहायक आचार्य तथा उससे ऊपर के वेतनमान वाले अन्य सदृश्य पदों के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

(1)	निदेशक या उप निदेशक	अध्यक्ष
(2)	संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ	सदस्य

(3)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम निर्देशिती	सदस्य
(4)	बोर्ड का नामनिर्देशिती	सदस्य
(5)	कुल सचिव	सदस्य

- (6) यदि चयन कुल सचिव या समतुल्य पद के लिए किया जाता है तो बोर्ड किसी व्यक्ति को चयन समिति का सदस्य नामनिर्देशित करेगा और कुल सचिव उसमें सदस्य के रूप में नहीं बैठेगा।
- (7) उप निदेशक की अनुपस्थिति में निदेशक संस्थान कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को उसके स्थान पर चयन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगा।
- (8) जहां कोई पद संविदा आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है वहां बोर्ड ऐसी तदर्थ चयन समिति, जो आवश्यक हो, गठित कर सकेगा।
- (9) जहां किसी पद को संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा या अस्थायी रूप से बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए भरा जाना है वहां उसके लिए प्रक्रिया वैसी होगी जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (10) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड विभाग या विद्यालय या केन्द्र की अत्यावश्यकता के लिए उचित विशेष कौशल या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति रखेगा।
- (11) यदि पद को विज्ञापन द्वारा भरा जाना है तो पद के निबंधन और शर्तें विज्ञापन में वर्णित किए जाएंगे तथा पात्र और सर्वाधिक वांछनीय अभ्यर्थियों को चयनित सूची के प्रयोजन के लिए अनुवेक्षण समिति विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का अनुवेक्षण करेगी।
- (12) कुछ पदों को साक्षात्कार से छूट दी जा सकेगी जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। यदि, जहां साक्षात्कार अनिवार्य है, वहां चयन समिति ऐसे सभी अभ्यर्थियों, जो साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं, के प्रत्यय-पत्रों की परीक्षा करेगी, पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी और सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए करेगी।
- (13) चयन समिति की सिफारिशें साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगी और यदि सिफारिशें किसी कारण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं या नियुक्ति आदेश सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं तो सिफारिशें समाप्त हो जाएंगी और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा।
- (14) किसी चयन समिति का कोई कार्य या प्रक्रिया केवल चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्रुगत नहीं की जाएगी।
- (15) जब तक कि इन परिनियमों के अधीन अन्यथा उपबंधन न किया जाए तब तक किसी पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति उस पद के संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन उस पद पर नियुक्ति किए जाने तक जारी रखेगी।
- (16) संस्थान में की गई सभी नियुक्तियां बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसको रिपोर्ट की जाएंगी।
- (17) सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (ए.सी.पी.) के अधीन प्रोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों के आवेदन किसी प्रोन्नति या उन्नयन के लिए सिफारिश किए जाने से पूर्व विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा विचारित किए जाएंगे।
- (18) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार होंगी, अर्थात् :—
1. निदेशक या उप निदेशक अध्यक्ष
 2. संबद्ध विभाग का प्रमुख सदस्य
 3. अन्य विभाग से विभाग का प्रमुख सदस्य
 4. कुल सचिव सदस्य

24. स्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें.—संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे, अर्थात् -

- (i) अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएंगी और परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात् कर्मचारी की उसके पद पर पुष्टि की जाएगी:
परंतु यदि किसी कर्मचारी की परिवीक्षा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कर्मचारी की परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित करने की शक्ति होगी;
- (ii) पुष्टिकृत के रूप में, कर्मचारी अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्याधीन उस मास के अंत तक जिसमें वे अपने-अपने पदों में अधिवर्षिता की आयु के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे, अपने पद पर बने रहेंगे;
- (iii) अधिवर्षिता की आयु वैसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों और प्रवर्गों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।
- (iv) संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा अनुज्ञेय वेतन के अतिरिक्त भत्तों के लिए हकदार होंगे।
- (v) संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार उनके और उनके कुटुंबों पर उपगत चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।
- (vi) संस्थान के कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 द्वारा शासित होंगे।
- (vii) ऐसे कर्मचारी जो 4.3.2014 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे।
- (viii) संस्थान के कर्मचारियों के आवेदन का संस्थान के बाहर नियोजन के लिए अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष में केवल तीन बार अग्रेषित किए जाएंगे।
- (ix) संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हकदार होंगे।
- (x) अतिकालिक और रात्रि भत्ता, जैसा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय है के अनुसार संस्थान के पात्र कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।

25. आचार संहिता.—कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर द्वारा बनाई जाएगी और जब तक कर्मचारियों के लिए आचार संहिता विरचित नहीं की जाती है, तब तक संस्थान केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का अनुसरण करेगा।

26. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें.—(1) अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक मास की सूचना पर किसी भी समय समापन के अधीन होगी।

- (2) ऐसे कर्मचारी की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं।

27. संविदा पर नियुक्तियां.—(1) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से बोर्ड, विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए संविदा पर किसी विख्यात व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

- (2) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड किसी व्यक्ति को संविदा पर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विहित वेतनमान में और सुसंगत पद के लिए लागू निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा।
- (3) ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अध्यक्ष का शासक बोर्ड ऐसी तदर्थ चयन समिति का गठन करेगा जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो :

परंतु समिति के ऐसे गठन की पुष्टि के लिए बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

28. भविष्य निधि और पेंशन स्कीम.—केंद्रीय सरकार उन कर्मचारियों, जो तत्कालीन बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थान में परिवर्तन के पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं, के संबंध में पेंशन का दायित्व ग्रहण करेगी और टेक ओवर के पश्चात् संस्थान के विद्यमान कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों के संबंध में विकल्प दिए जाएंगे और तदनुसार पेंशन दायित्व निम्नानुसार होंगे :—

- (i) राज्य पेंशन नियमों के अधीन समाविष्ट विद्यमान पेंशन भोगियों के संदाय का दायित्व राज्य सरकार पर बना रहेगा। तथापि, ऐसे कर्मचारी, जो बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थान में परिवर्तन की तारीख के पश्चात् अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होते हैं की पेंशन की संदाय का दायित्व केंद्रीय सरकार पर होगा।
- (ii) 1 जनवरी, 2004 से पूर्व भर्ती कर्मचारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन स्कीम का विकल्प देते हैं, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा विनियमित होंगे और यदि वे विद्यमान पेंशन स्कीम अर्थात् राज्य सरकार पेंशन स्कीम का विकल्प देते हैं तो उक्त उपबंधों द्वारा विनियमित होंगे ;
- (iii) 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् और 4 मार्च, 2014 से पूर्व भर्ती कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन स्कीम का विकल्प देते हैं नई पेंशन स्कीम द्वारा विनियमित होंगे और यदि राज्य सरकार पेंशन स्कीम का विकल्प देते हैं उक्त उपबंधों द्वारा विनियमित होंगे; और
- (iv) 4 मार्च, 2014 अर्थात् बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थान में परिवर्तन की तारीख के पश्चात् भर्ती कर्मचारी नई पेंशन स्कीम द्वारा विनियमित होंगे।

29. पदत्याग.—इन प्रथम परिनियमों के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संस्थान का कोई कर्मचारी पदत्याग कर सकेगा यदि :

- (i) वह स्थायी कर्मचारी है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल तीन मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके स्थान पर तीन मास के वेतन संदत्त द्वारा ; और
- (ii) वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल एक मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके स्थान पर एक मास के वेतन संदत्त द्वारा :

परंतु ऐसा पदत्याग केवल उस तारीख को जिसको त्यागपत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, प्रभावी होगा।

30. सेवानिवृत्ति.—(1) कोई कर्मचारी अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अनुसार संवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी को, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंध के अनुसार समयपूर्व सेवानिवृत्ति के रूप में अधिवर्षिता से पूर्व, कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकार होगा।
- (3) कोई कर्मचारी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक शैथिल्यता के कारण जो स्थायी रूप से उसको सेवा से असमर्थ करती है, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा, अर्थात् :—

- (i) कर्मचारी, अपना आवेदन रजिस्ट्रार को उचित माध्यम और प्रक्रिया से प्रस्तुत करेगा और एक चिकित्सीय प्रमाणपत्र, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा ;
- (ii) यदि चिकित्सा प्राधिकारी किसी निम्नतर पद के लिए आरोग्य प्रमाणपत्र प्रदान करता है तो कर्मचारी यदि इच्छुक है तो केवल ऐसे पद पर जो उपलब्ध है नियुक्त किया जा सकेगा ; और
- (iii) स्वास्थ्य रिपोर्ट, सेवानिवृत्त की तारीख से पहले या सम्पाती होनी चाहिए।

31. **अधिदाय.**—संस्थान के स्थायी कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिदाय निकालने की सुविधा रखेंगे।
32. **प्रतिनियुक्ति.**—प्रतिनियुक्ति, लोकहित में (अस्थायी स्थानान्तरण) नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बाहर अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्तशासी निकायों में जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं और भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय हैं।
33. **कर्मचारियों के लिए निवास स्थान.**—(1) संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को केवल निवासीय उपयोग के लिए संस्थान के परिसर के भीतर एक असुसज्जित घर, यदि उपलब्ध होगा तो, आबंटित किया जा सकेगा जिसमें उससे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संस्थान के गृह आबंटन नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं, निवास करने की अपेक्षा जाएगी।
- (2) संस्थान के ऐसे कर्मचारी से, जिसको निवासीय उपयोग के लिए घर आबंटित किया गया है, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा नियत दर पर अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी।
- (3) अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, जल, विद्युत और दी गई किसी अन्य सेवा के प्रभार, किसी कर्मचारी से वास्तविक आधार पर या ऐसी दरों पर जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, वसूल की जाएंगे।
- (4) बोर्ड, यदि संस्थान के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी प्रवर्ग के कर्मचारी को कोई अनुज्ञप्ति फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करते हुए सुसज्जित या असुसज्जित वास सुविधा आबंटित कर सकेगा।
34. **छुट्टी.**—संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगी।
35. **छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार.**—बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर ऐसी छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार जो आवश्यक समझी जाएं, संस्थित कर सकेगा।
36. **फीस.**—संस्थान निम्नलिखित फीसों प्रभावित करेगा, अर्थात् :—
- (i) अध्यापन और छात्रावास फीस दो भागों में समाविष्ट होगी (क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद् द्वारा अवधारित फीस ; और (ख) ऐसी फीसों जो शासक बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएंगी।
- (ii) अवधान राशि, छात्रों, विद्वानों और अध्येताओं को अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के समय सुसंगत देयों की यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् प्रतिदेय होगी और जहां किसी प्रतिदाय का कोई दावा अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के दो वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है वहां अवधान राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाएगा।
- (iii) ऐसी फीस रियायत और छात्रवृत्तियां, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को लागू होंगी।
37. **छात्रों के छात्रावास और छात्रनिवास.**—(1) प्रत्येक संस्थान एक आवासिक संस्थान होगा और सभी छात्र तथा अनुसंधानविद् इस प्रयोजन के लिए संस्थानों द्वारा निर्मित छात्रावासों और छात्र निवासों में निवास करेंगे:
- परन्तु कतिपय मामलों के लिए निदेशक लिखत में कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी छात्र या विद्वान को अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ निवास करने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु जहां कोई ऐसी अनुज्ञा किसी छात्र या विद्वान को दी गई है वहां यथास्थिति, ऐसा छात्र या विद्वान उसी प्रकार ऐसे किराए के संदाय के लिए दायी होगा जैसा वह छात्रावास में निवास कर रहा होता तो वह किराए के संदाय के लिए दायी होता।
- (2) छात्रावासों और छात्र निवासों का प्रत्येक निवासी इस प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा अधिकथित नियमों का पालन करेगा।
- (3) प्रत्येक छात्रावास या छात्र निवास के लिए एक वार्डन होगा और उतने सहायक वार्डन तथा अन्य कर्मचारी होंगे जितने समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (4) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्दों को वार्डन और सहायक वार्डन के रूप में निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- (5) वार्डन और सहायक वार्डन उस प्रकार के आवास गृह के समान ही जिसके लिए वे सामान्यतया हकदार हैं, किराया मुक्त असुसज्जित आवास गृह के लिए हकदार होंगे।
- (6) बोर्ड छात्रावासों और छात्रनिवासों के प्रबंध के लिए नियम अधिकथित करेगा।
- 38. सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना -** संस्थान, कतिपय असाधारण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके प्रख्यात योगदान के लिए सम्मानिक उपाधियों को प्रदान कर सकेगा :

परन्तु सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करने के लिए सभी प्रस्ताव सिनेट द्वारा किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

अनुसूची 'क'

[परिनियम 17(2) देखें]

“राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17(1) और परिनियम 17(2) (भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर की दशा में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के निबंधनों में, कुलाध्यक्ष, संस्थान के निदेशक के रूप में पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् कथित निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह विलेख नीचे उल्लिखित बातों का साक्षी है और पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं :-

- (1) इस सेवा करार के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे सभी समयों पर अधिनियम के और समय-समय पर स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को लागू यथा प्रवृत्त संस्थानों को सम्मिलित करने वाले परिनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए करार के अधीन सेवा पर होगा। परंतु यदि ऊपर उल्लिखित सेवा की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा उस वर्ष के 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है या जब तक वह 70 वर्ष की आयु पूरी करता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो।
- (3) नियुक्त व्यक्ति संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और वह उक्त अधिनियम तथा परिनियमों में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवा करेगा।
- (4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा को समर्पित करेगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन माना जाएगा।
- (5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अवधि के दौरान, सिवाय निलंबन की किसी अवधि और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अवधि के, भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए रुपए के वेतनमान में रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्त व्यक्ति की अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे, जो शासक बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों।
- (6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार और इन उपबंधों में ऐसे उपांतरणों के, जिन्हें समय-समय पर किया जाए, अधीन संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान में अभिदाय करेगा और साथ ही वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को यथा लागू संस्थान के अभिदाय का भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का कर्मचारी होने और उसके द्वारा अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेंशन - सह - उपदान स्कीम का फायदा लिए जाने की दशा में, वह परिनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय इस एकत्रण के स्थानांतरण के साथ संस्थान की तत्समान स्कीम का अभिदायी बनेगा। उस दशा में, जहां नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेंशन - सह - उपदान स्कीम द्वारा उसी रूप में शासित होता रहेगा, जिस प्रकार वह इस संविदा नियुक्ति के तुरंत पूर्व शासित होता था और वह परिनियमों के अनुसार संस्थानों के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अवधि में स्कीम के फायदों के लिए हकदार होगा।
- (7) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदों में, जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे वह तत्समय संबंध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं सुधारों के फायदों का, संस्थान द्वारा यथा अवधारित रूप में पूर्ण रूप से या भाग रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और

नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जिससे कि इस विलेख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया जा सके।

- (8) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैरप्रावकाश कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।
- (9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत रूप में संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति शुल्क रहित सुसज्जित कार्यालय-सह आवास का हकदार होगा।
- (10) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।
- (11) (i) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर मानते हुए केंद्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा।
- (ii) यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।
- (12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को धारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।
- (13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा को संस्थान द्वारा किसी भी समय, इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा। परंतु संस्थान सदैव इसमें उपबंधित सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संदाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।
- (14) नियुक्त व्यक्ति को उसकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञात की जाएगी और उसे उसकी सुविधानुसार उक्त विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।
- (15) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और तद्विधन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी स्वरूप ऊपर लिखित तारीख को संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा

भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के लिए

हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित की उपस्थिति में,

निदेशक, भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर

अनुसूची 'ख'

[परिनियम 18 (3) देखें]

उपनिदेशक के पद के लिए सेवा संविदा

आज तारीख एक पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्त व्यक्ति कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) के अधीन निगमित भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के बीच किया गया सेवा हेतु करार।

“राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 18(3) और परिनियम 17(5) (भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर की दशा में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के निबंधनों में, उपनिदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा वरिष्ठतम संकाय सदस्यों में से चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे बोर्ड की सिफारिश पर दो बार, प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् आने वाले निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर दिया है। यह विलेख नीचे उल्लिखित बातों का साक्षी है और पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं :—

- (1) इस सेवा करार के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे सभी समयों पर अधिनियम के और समय-समय पर स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को लागू यथा प्रवृत्त संस्थानों को सम्मिलित करने वाले परिनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति तारीख (जो पदभार ग्रहण करने की तारीख है) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर दो वर्ष के लिए विस्तारणीय है, करार के अधीन सेवा पर होगा। परंतु यदि ऊपर उल्लिखित सेवा की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त व्यक्ति 65 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा वर्ष के 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो।
- (3) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम तथा परिनियमों में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक उप-निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निदेशक को रिपोर्ट करेगा।
- (4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा को समर्पित करेगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन माना जाएगा।
- (5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अवधि के दौरान, सिवाय निलंबन की किसी अवधि और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अवधि के, भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए रुपए के वेतनमान में रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्त व्यक्ति की अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे, जो शासक बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों।
- (6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार और इन उपबंधों में ऐसे उपांतरणों के, जिन्हें समय-समय पर किया जाए, अधीन संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान में अभिदाय करेगा और साथ ही वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को यथा लागू संस्थान के अभिदाय का भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का नियोजक होने और उसके द्वारा अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेंशन - सह - उपदान स्कीम का फायदा लिए जाने की दशा में, वह परिनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय इस एकत्रण के स्थानांतरण के साथ संस्थान की तत्समान स्कीम का अभिदायी बनेगा। उस दशा में, जहां नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेंशन - सह - उपदान स्कीम द्वारा उसी रूप में शासित होता रहेगा, जिस प्रकार वह इस संविदा नियुक्ति के तुरंत पूर्व शासित होता था और वह परिनियमों के अनुसार संस्थानों के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अवधि में स्कीम के फायदों के लिए हकदार होगा।
- (7) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदों में, जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे वह तत्समय संबंध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं सुधारों के फायदों का, संस्थान द्वारा यथा अवधारित रूप में पूर्ण रूप से या भाग रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जिससे कि इस विलेख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया जा सके।
- (8) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी प्रावकाश कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।

- (9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत रूप में संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति शुल्क रहित सुसज्जित वास सुविधा का हकदार होगा।
- (10) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।
- (11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर नियुक्ति मानते हुए केंद्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार की समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा।
- यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।
- (12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को धारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।
- (13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा को संस्थान द्वारा किसी भी समय, इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा। परंतु संस्थान सदैव इसमें उपबंधित सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संदाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।
- (14) नियुक्त व्यक्ति को उसकी सुविधानुसार विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेने के लिए उसकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञात की जाएगी।
- (15) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और तद्वीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी स्वरूप ऊपर लिखित तारीख को संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा

भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर संस्थान के लिए

हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

..... साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित की उपस्थिति में,

उप निदेशक, भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर

अनुसूची 'ग'

[परिनियम 19(5) देखिए]

संकायाध्यक्षता

संस्थान में सात से अधिक संकायाध्यक्ष पद नहीं हो सकेंगे। शासक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में निम्नलिखित संकायाध्यक्ष पद हो सकेंगे :

संकायाध्यक्ष शैक्षणिक

संकायाध्यक्ष योजना और विकास

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण

संकायाध्यक्ष संकाय कल्याण

संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और परामर्शी)

संकायाध्यक्ष पद कार्यात्मक पद है न कि प्रशासनिक पद और उसका इसकी उचित भावना से निर्वहन किया जाए। आचार्यों/सह आचार्यों में से ही संकायाध्यक्ष को निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जाना चाहिए किन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा नहीं होना चाहिए।

संकायाध्यक्ष पद का कार्यकाल साधारणतया दो वर्ष का होगा जिसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु निदेशक, अध्यक्ष शासक बोर्ड के अनुमोदन से ऐसी अवधि से पूर्व किसी या सभी संकायाध्यक्षों को कार्यमुक्त कर सकेगा।

संकायाध्यक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

संकायाध्यक्षों को निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं :—

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)

वह निदेशक को निम्नलिखित पर सलाह देगा/देगी :

- (क) छात्रों के प्रवेश तथा उनके नामांकन ;
- (ख) शैक्षणिक कैलेंडर, समय सारणियों, पाठ्यक्रम कार्य तथा परीक्षाओं के लिए छात्रों का रजिस्ट्रीकरण, कक्षा कक्ष व्यवस्था तथा कक्षा कार्य के उचित संचालन के लिए सभी अन्य अपेक्षाओं को अन्तिम रूप देना ;
- (ग) कक्षा परीक्षणों को संचालित करना और सत्र के मूल्यांकनों को अन्तिम रूप देने को समन्वित करना तथा समय पर परिणामों की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए ;
- (घ) सभी प्रवर्गों के छात्रों के अद्यतन शैक्षणिक अभिलेखों के रखरखाव का पर्यवेक्षण ;
- (ङ) पाठ्य विवरण का प्रकाशन और वितरण ;
- (च) सभी संस्थान स्तरीय शैक्षणिक निकायों की बैठकें आयोजित करना ;
- (छ) छात्रों के लिए सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना ;
- (ज) उन परीक्षाओं को संचालित करने की व्यवस्था करना जिन्हें संस्थान के विनियमों में अनुबंधित किए गए अनुसार संस्थान द्वारा संचालित किया जाना है ;
- (झ) अनुसंधान के संचालन के लिए नीतियां बनाना और शासक बोर्ड/सिनेट के विनिश्चय को कार्यान्वित करके उपयुक्त मानक बनाए रखने के लिए उपाय करना ;
- (ञ) स्नातकोत्तर, पीएचडी और अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों के, जिनमें शोध-प्रबंध की परीक्षा भी सम्मिलित है, संचालन में सिनेट की नीति को निष्पादित करना ;
- (ट) दीक्षांत समारोह के संचालन को समन्वित करना ;
- (ठ) शिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बीओएसी द्वारा विचार किया जाएगा जिसके लिए संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) अर्थात् अध्यक्ष और यदि अनुमोदित किया जाता है, उन्हें औपचारिक अनुमोदन के लिए सिनेट को भेजा जाएगा ;
- (ड) प्रायोजित प्रारंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रमों तथा अभ्यर्थियों के क्वालिटी सुधार कार्यक्रम को स्वीकार करना ;
- (ढ) उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए प्रयास करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाने हेतु निदेशक को सुझाव देना।

2. संकायाध्यक्ष (योजना और विकास)

वह निदेशक को निम्नलिखित में सलाह देगा/देगी:—

- (क) संस्थागत क्रियाकलापों के विस्तार तथा विविधता की योजना और सिविल, वैद्युत, संकर्म, स्वच्छता, नेटवर्क प्रणाली, आदि से संबंधित योजना तथा प्राक्कलनों के प्रस्तुत किए जाने की सीमा तक सभी विकासात्मक प्रस्तावों को तैयार करना।

- (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य अभिकरणों को भेजे जाने वाली आवधिक रूप से अपेक्षित विभिन्न रिपोर्टों के संकलन के लिए अपेक्षित योजना एवं परियोजना संबंधी सभी आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़ों का रखरखाव ।
- (ग) वास्तविक लक्ष्यों को मानिटर करने तथा परियोजनाओं और परामर्श की बाबत निधियों का उपयोग तथा प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत कागज पत्रों को तैयार करना ;
- (घ) नए पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करने और इस संबंध में इस प्रयोजन के लिए संकाय सदस्यों और बाह्य विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित करना ;
- (ङ) संस्थान की परामर्श, परीक्षण एवं प्रायोजित अनुसंधान के क्रियाकलापों का विस्तार करने और उन्हें मानिटर करने का प्रयास करने तथा प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना ;
- (च) अनौपचारिक तथा सत्त शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उनके संचालन को समन्वित करना ;
- (छ) परियोजनाओं तथा परीक्षण एवं परामर्श संबंधी उपस्करों के उपापन के लिए बैठक का कार्यवृत्त और उसके आयोजन की व्यवस्था करना ;
- (ज) रजिस्ट्रार को निर्माण और संकर्म समिति के लिए बजट तथा नए प्राक्कलनों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना ।

3. संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण)

- (क) वह छात्र परामर्श आयोजन करने में निदेशक को सलाह देगा/देगी ;
- (ख) वह छात्र पत्रिकाओं, समाचार बुलेटिन, समाचार पत्रों आदि के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होगा/होगी ;
- (ग) वह छात्र, अनुशासन तथा कल्याण संबंधी विषयों में निदेशक को सलाह देगा/देगी ;
- (घ) वह छात्र संघ/संगम/परिषद संबंधी विषयों में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;
- (ङ) वह एनसीसी, एनएसएस, खेल, तरणताल, क्रीडा, सांस्कृतिक और छात्रों की पाठ्यक्रम के साथ तथा पाठ्यक्रयातीत गतिविधियों को समन्वित करेगा/करेगी ;
- (च) वह पूर्व छात्रों का अभिलेख रखेगा/रखेगी और उनके साथ पत्राचार करेगा/करेगी ;
- (छ) वह अनुशासनहीनता में संलिप्त छात्रों की जांच कराएगा/कराएगी ;
- (ज) वह छात्रों के माता पिता/संरक्षकों से उनकी प्रगति एवं व्यैक्तिक समस्याओं/कल्याण के बारे में पत्राचार करेगा/करेगी ।

4. संकायाध्यक्ष कल्याण

वह निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर निदेशक को सलाह देगा/देगी :

- (क) क्वालिटी सुधार कार्यक्रम के अधीन विभिन्न संस्थाओं को, उन्हें लागू नियमों के अधीन, संकाय की प्रतिनियुक्ति ;
- (ख) वह विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, अल्पावधि पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विदेशी शिक्षण/प्रशिक्षण समनुदेशन आदि के लिए संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के लिए निदेशक को सलाह देगा/देगी ;
- (ग) वह संकाय सदस्यों द्वारा सम्मेलनों/सेमिनार में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने वाले कागजपत्रों की मूल्यांकन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी ;
- (घ) वह संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;
- (ङ) वह भवनों, सड़कों, जलप्रदाय, स्वच्छता, घास के मैदानों तथा उद्यानों, संसूचना नेटवर्कों, वाटर कूलरों, वातानूकूलकों, टेलीफोनों आदि के संनिर्माण और रखरखाव के पर्यवेक्षण में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;
- (च) वह विभिन्न विभागों और संकाय सदस्यों के बीच अनुशासन तथा कार्य लोकाचार को बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;

- (छ) वह संस्थान में उच्च शैक्षिक मानकों को बनाए रखने तथा शैक्षिक उत्कृष्टता को प्राप्त करने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;
- (ज) संकाय अनुशासन, समग्रता और प्रतिबद्धता का पर्यवेक्षण ।

5. संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और परामर्श)

वह निम्नलिखित से संबंधित विषयों में निदेशक को सलाह देगा/देगी :

- (क) औद्योगिक रूप से प्रायोजित अनुसंधान और परामर्श के लिए नियम बनाना ;
- (ख) संकाय विशेषज्ञता के संबंध में डाटा बेस सृजित करना और उसे बनाए रखना ;
- (ग) अनुसंधान/परामर्श कार्य, परियोजना कर्मचारिवृंद की भर्ती करने के लिए आवश्यक उपस्कर उपाप्त करने में उसके कार्यालय संकाय के माध्यम से सुकर बनाना ;
- (घ) छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के साथ की गतिविधियों (तकनीकी उत्सव, प्रश्नोत्तरी आदि) को समन्वित करना ;
- (ङ) ऐसे अभिकरणों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), नाभकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड (एआरएंडडीबी), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आदि को वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।

अनुसूची 'घ'

[परिनियम 24(7) देखिए]

अन्यत्र नियोजन के लिए आवेदनों का अग्रेषण

शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित संन्त्रियमों के अनुसार ही नियोजन के लिए आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे :

सभी कर्मचारियों से उनकी सेवा के निबंधनों के अधीन अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी/प्राइवेट या अन्यत्र में अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित संन्त्रियमों का पालन करें :-

1. साधारण सिद्धान्त:

- (i) अच्छी प्रोन्नति संभावनाओं वाला स्थायी कर्मचारी अपने पद के कर्त्तव्यों के प्रति पूरे मन से अपनी शक्ति लगाने के लिए सामान्य बाध्यताधीन है । यह अनुचित नहीं होगा यदि अन्य नियोजन के लिए उसका आवेदन रोक लिया जाता है और अग्रेषित नहीं किया जाता है ।
- (ii) किसी अस्थायी कर्मचारी का आवेदन तब तक न रोका जाना चाहिए जब तक ऐसे अस्थायी कर्मचारी के लिए अभिलिखित तथा उसे संसूचित किए जाने वाले बाध्यकारी आधार न हों । किसी ऐसे अस्थायी कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पर, जिसकी सम्यक अनुक्रम में स्थायी होने की अच्छी संभावनाएं हों, गुणागुण के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए ।
- (iii) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी/संस्थान के खर्चे पर कोई तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है, कम से कम बन्धपत्र अवधि तक संस्थान में सेवा करते रहना चाहिए और ऐसे किसी मामले में आवेदन रोकना औचित्यपूर्ण है । बोर्ड ऐसे मामलों में नीति का विनिश्चय कर सकेगा ।
- (iv) जहां किसी कर्मचारी को हस्तगत महत्वपूर्ण कार्य को गम्भीर नुकसान पहुंचाए बिना कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है, वहां उसके आवेदन को रोका जा सकता है ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन

संस्थान के कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए सीधे आवेदन पत्र कर सकते हैं परन्तु उन्हें इसकी सूचना विभागाध्यक्ष और निदेशक को देनी चाहिए। तत्पश्चात् उसे ऐसी नियुक्ति के लिए, किन्तु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पूर्व, अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए।

3. अन्य भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान /केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य तुल्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पद :

- (क) स्थायी कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ यह वचनबंध संलग्न होना चाहिए कि वह या तो संबंधित भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में पुनः पद ग्रहण करेगा या तीन वर्ष के पश्चात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उसके द्वारा धारित पद से त्यागपत्र देगा।
- (ख) अस्थायी कर्मचारी को उसके चयन और नई नियुक्ति की स्वीकृति की दशा में त्यागपत्र देने का एक वचनबंध देना चाहिए।

खुले विज्ञापनों के संबंध में विदेशी समनुदेशन :

- (क) कर्मचारी, अध्यक्ष, शासक बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से आवेदन कर सकता है जिसकी पुष्टि शासक बोर्ड द्वारा की जाए।
- (ख) यदि समय का अभाव है, तो एक अग्रिम प्रति संबद्ध अधिकरण को, उचित माध्यम से अनुमोदन के लिए अध्यक्ष, शासक बोर्ड को प्रति देते हुए, भेजी जा सकती है।
- (ग) ऐसे कर्मचारी पर संबद्ध भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के शासकीय नामनिर्देशिती के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

वे पद जिन्हें विज्ञापित या परिचालित नहीं किया गया है :

आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण

अस्थायी कर्मचारी अनुमति लेकर नाम रजिस्टर करा सकते हैं किन्तु उन्हें चयन हो जाने पर त्यागपत्र देना चाहिए।

स्थायी कर्मचारी अपना नाम निम्नलिखित दशाओं में रजिस्टर करा सकता है :

- (क) केवल सरकारी/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय के अधीन उच्चतर पद के लिए हो,
- (ख) भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, और
- (ग) एक वचनबंध देकर कि वह नए पद को ग्रहण करने के तीन वर्ष पूरे हो जाने पर या तो संबद्ध भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में पुनः पद ग्रहण करेगा या उससे त्यागपत्र देगा।
- (घ) जब कोई कर्मचारी अपने मूल कार्यालय में पुनःपद ग्रहण करता है तो उसे रोजगार कार्यालय में पुनः अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए तीन वर्ष की अवधि तक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान नहीं किया जाएगा।

ऐसा कर्मचारी जो निलंबनाधीन है या जिसे आरोप पत्र जारी किया गया है :

कोई आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए यदि कर्मचारी निलंबनाधीन रहता है या उसे आरोप पत्र जारी किया गया है/ आरोप पत्र न्यायालय में फाइल किया गया है या उसके अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी गई है।

ऐसे कर्मचारी जिनका आचरण अन्वेषणाधीन है :

ऐसे किसी कर्मचारी का आवेदन, जिसका आचरण अन्वेषणाधीन है, अभिकथनों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणियों सहित और इस टिप्पण के साथ कि उसे तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा यदि कर्मचारी निलंबित किया गया है या उसे आरोप पत्र जारी किया गया है/आरोप पत्र न्यायालय में फाइल लिया गया है या उसके अभियोजन के लिए मंजूरी उसके चयन से पूर्व प्रदान की गई है, अग्रेषित किया जा सकेगा।

[सं. फा. 33-10/2014-टीएस-III]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2017

G.S.R. 293(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26, of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), the Central Government with the prior approval of the Visitor hereby frames the following Statutes for Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, namely:-

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These Statutes may be called the Statute of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statute, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007;
 - (b) “Authorities”, “Officers” and “Faculty Members”, in relation to the Institute, respectively mean, the authorities, officers and faculty members of the Institute;
 - (c) “Board” means the Board of Governors of the Institute;
 - (d) “Building and Works Committee” means the Building and Works Committee of the Institute constituted under Statute 12;
 - (e) “Central Government” means the Government of India;
 - (f) “Council” means the Council of the Institutes;
 - (g) “Department or School or Centre” means an Academic Department or School or as the case may be, the Centre established to impart instruction or for carrying out or facilitating the academic and research activities relating to any particular area or discipline or areas of inter-disciplinary nature;
 - (h) “Director” means the Director of the Institute referred to under Statute 17;
 - (i) “Finance Committee” means the Finance Committee of the Institute referred to under Statute 10;
 - (j) ‘Head’ or ‘Chair’ in relation to a Department or School or as the Case may be, the Centre means the Head thereof;
 - (k) “Institute” means the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur;
 - (l) “Programme” means an academic programme of the Institute;
 - (m) “rules” means the rules made under the Act;
 - (n) “Schedule means a schedule annexed to these Statutes;
 - (o) “Senate” means the Senate of the Institute referred to under Statute 7;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Authorities.**—The following shall be the authorities of the Institute, namely:—
 - (i) the Board of Governors as constituted under section 11A of the Act;
 - (ii) the Senate as constituted under section 14 of the Act;
 - (iii) the Finance Committee as constituted under Statute 10; and
 - (iv) the Building and Works Committee as constituted under Statute 12
4. **Board of Governors and Meeting thereof.**—(1) The bodies entitled to nominate or elect representatives of the Board shall be invited by the Registrar to do so within a period not exceeding eight weeks from the date on which such invitations are issued and casual vacancies on the Board shall be filled by following the same procedure as specified above.
(2) The Board shall ordinarily meet four times during a calendar year.

- (3) The meetings of the Board shall be convened by the Chairperson either on his own motion or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than four members of the Board.
- (4) The quorum of the meeting of the Board shall be six members :
- Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on the same day in the next week at the same time and place or on such other day, time and place, as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the scheduled time for holding a meeting, the members present shall form the quorum.
- (5) All questions considered at the meeting shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairperson and if the votes are equally divided, the Chairperson shall have a casting vote.
- (6) The Chairperson, if present, shall preside over every meeting of the Board: Provided that in the absence of the Chairperson, the members present shall decide a member from amongst themselves to preside at the meeting.
- (7) The Registrar shall send a written notice of every meeting to every member at least fifteen days before the date of the meeting mentioning therein the place, date and time of the meeting:
- Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Board at short notice to consider urgent issues.
- (8) The notice may be delivered either by hand or sent by registered post or speed post or e-mail or fax, at the address of each member as recorded in the office of the Board and if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.
- (9) The agenda of the meeting shall be circulated by the Registrar to all members atleast ten days before the meeting.
- (10) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least one week before the meeting.
- Provided that the Chairperson may permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
- (11) The decision of the Chairperson with regard to all questions of procedure shall be final.
- (12) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Board present in India and the same along with any amendment suggested shall be placed before the Board in its next meeting for confirmation and after the minutes are confirmed and signed by the Chairperson, they shall be recorded in the minute book.
- (13) The minute book shall be kept open for inspection of the members of the Board and the Council at all times during office hours.
- (14) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board, he shall cease to be a member of the Board.
- (15) No matter relating to finance shall be placed before the Board unless the same has been approved by the Finance Committee.
- (16) No matter which shall be first considered by the Building and Works Committee shall be placed before the Board unless the same has been considered by the Building and Works Committee after obtaining the administrative approval of the Board.

5. Powers of the Board.—In addition to the powers specified under sub-section (1) of section 13 of the Act, the Board shall be empowered, -

- (i) to abolish, re-designate or change the nomenclature of any post in the Institute without any financial implication;
- (ii) to make, modify or cancel the Statutes with the approval of the visitor from time to time:
- Provided that the new Statutes, additions or amendments of existing Statutes shall be applicable only after the assent of the Visitor; and
- (iii) to make, modify and cancel all or any ordinances on recommendations of the Finance Committee or Senate of the Institute subject to the condition that making, modification and cancellation shall not be in contravention of the Act and the Statutes made thereunder.

- 6. Authentication.**—All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Director and in the absence of the Director, any person-authorised by the Board in this behalf.
- 7. Senate.**—(1) The Senate shall meet as often as necessary, but ordinarily not less than four times during a calendar year.
- (2) The meetings of the Senate shall be convened by the Chairman of the Senate either on his own motion or on a requisition signed by not less than one fifth of the members of the Senate.
- (3) The meeting convened on the requisition shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which requisition is given and shall necessarily be presided over by the Director and shall be convened by the Chairman of the Senate on convenient date and time.
- (4) One third of the total number of members of the Senate shall form a quorum for a meeting of the Senate.
- (5) The Director shall preside over every meeting of the Senate:
- Provided that in absence of the Director, the Deputy Director shall preside and in the absence of both, the senior most Professor present shall preside over the meeting.
- (6) The Registrar shall circulate a written notice of every meeting together with the agenda to the members of the Senate at least a week before the meeting:
- Provided that the Chairman of the Senate may permit inclusion of any item for which due notice has not been given.
- (7) Notwithstanding the provisions contained in sub-statute (6), the Director may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent special issues.
- (8) The decision of the Chairman of the Senate with regard to all questions of procedure shall be final.
- (9) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar in consultation with the Dean Academics and circulated to all the members of Senate present in India:
- Provided that no such minute shall be circulated, if the Senate considers such circulation prejudicial to the interests of the Institute or the Central Government.
- (10) The minutes along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate and after the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Senate, they shall be recorded in a minutes book which shall be kept open for inspection of the members of the Senate, the Board and the Council at all times during office hours.
- 8. Powers of the Senate.**—Subject to the provisions of the Act, the Senate shall have the power to—
- (i) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various Departments or Schools or as the Case may be, Centres;
- (ii) make arrangements for the conduct of examinations, appointment of examiners, moderators, tabulators and other matters relating to the examinations;
- (iii) declare the results of the examinations or to appoint Committees or Officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment or grant of degrees or as the case may be, the diplomas and other academic distinctions or titles;
- (iv) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Department or School or as the case may be the Centre of the Institute to make recommendations on academic matters connected with the working of the Department, School or Centre;
- (v) appoint Committees from amongst the members of the Senate, other teachers of the Institute and experts from outside to advise on such specific and important academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;
- (vi) consider the recommendations of the Advisory Committees attached to various Departments or Schools or as the case may be Centres and that of expert and other Committees and take such action (including the making of recommendations to the Board) as may be considered necessary;
- (vii) make periodical review of the activities of the Department or School or as the case may be, the Centre and take appropriate action (including the making of recommendations to the Board);
- (viii) supervise the working of the Library of the Institute;

- (ix) promote research and academic development or activity within the Institute and seek reports on such research or academic development or activity from the persons engaged therein whenever felt necessary;
- (x) provide for the inspection of the class rooms, Laboratories, Library and the residential hostels;
- (xi) plan co-curricular activities of the students of the Institute;
- (xii) award stipends, scholarships, medals and prizes and such other awards in accordance with such conditions as may be attached to the awards;
- (xiii) make recommendations to the Board with regard to the creation or restructuring of Department or School or as the case may be the Centre and the abolition of existing Department, School or Centre;
- (xiv) make recommendations to the Board to disseminate knowledge through distance learning mode to various parts of the State or country or abroad;
- (xv) invite up to two students representatives during discussion of general nature not involving policy or disciplinary matters in the Senate meetings.

9. Chairman of the Senate to exercise powers in emergency.—If, in the opinion of the Chairman of the Senate, any emergency has arisen which requires immediate action, he may take such action as he deems necessary and shall report the same for approval to the Senate in its next meeting.

10. Finance Committee.—(1) There shall be a Finance Committee for the Institute consisting of the following members, namely:-

- (i) the Chairperson of the Board of Governors, ex-officio Chairman;
- (ii) the Director, ex-officio;
- (iii) Joint Secretary dealing with the Institute or his nominee and Financial Advisor (Human Resource Development) or his nominee;
- (iv) two persons nominated by the Board from amongst its members; and
- (v) the Registrar, ex-officio, Member-Secretary:

Provided that in addition to the above, the Chairman may invite an expert as special invitee, in consultation with the Director and such special invitee may not have voting rights.

- (2) All financial proposals shall be placed before the Finance Committee before placing it to the Board for consideration and approval.
- (3) The Finance Committee shall meet ordinarily four times in a year preferably before the meeting of the Board of Governors.
- (4) The quorum of a meeting of the Finance Committee shall be four members.
- (5) The Chairman, shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence, the Director shall preside over the meetings.
- (6) The provisions in these Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes shall, so far as practicable may be applicable to the meeting of the Finance Committee.
- (7) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be placed before the Board.

11. Powers of the Finance Committee—

The Finance Committee shall have power to -

- (i) examine and scrutinise the annual budget of the Institute prepared by the Director and make recommendations to the Board; and
- (ii) give its views and make its recommendations on any financial proposal or issues or question affecting the Institute, to the Board either on the initiative of the Board or of the Director, or on its own motion.

12. Building and Works Committee.—(1) There shall be a Building and Works Committee for the Institute, consisting of following members, namely:—

- (i) the Director, ex-officio Chairman;

- (ii) Director or Deputy Secretary or his nominee dealing with the Institute in the Ministry and Director or Deputy Secretary or his nominee dealing with Finance of the Institute in the Ministry as Ex-Officio Members of the Central Government ;
 - (iii) one member nominated by the Board of Governors – Member;
 - (iv) Registrar, ex-officio, Member- Secretary;
 - (v) Dean, planning and development or similar position – Member;
 - (vi) one expert each from Civil and Electrical Engineering Wing of Central or State Government or any autonomous body of repute – Member.
- (2) The Building and Works Committee shall meet as often as necessary, but ordinarily not less than four times a year.
 - (3) The quorum of a meeting of the Building and Works Committee shall be four members.
 - (4) The provisions in these Statutes regarding notice of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes shall, as far as practicable, may be applicable to the meetings of the Building and Works Committee.
 - (5) A copy of the minute of every meeting of the Building and Works Committee shall be placed before the Board together with the recommendations of the Finance Committee on specific proposal or proposals which requires approval of the Board.

13. Powers and Functions of the Building and Works Committee.—(1) The Building and Works Committee shall,—

- (i) under the directions of the Board, undertake construction of all major works after the necessary administrative approval and expenditure sanction from the Board;
 - (ii) have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to repair and maintenance within the approved budgetary provision of the Institute;
 - (iii) cause to prepare estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like and shall approve the cost estimates for minor works, minor repairs and maintenance;
 - (iv) be responsible for making technical scrutiny of the design, estimates and specifications of the material as may be considered necessary;
 - (v) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for departmental works where necessary;
 - (vi) have the power to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors.
- (2) If, in the opinion of the Chairman of the Building and Works Committee, any emergency has arisen which requires immediate action, he may take such action as to be deemed necessary, and report the same for approval by the Building and Works Committee and the Board at their next meeting.
 - (3) The Building and Works Committee shall also perform such other functions and exercise such other powers as may be entrusted by the Board from time to time.

14. Powers of the Chairperson, Board of Governors - In addition to the powers provided under the Act, the Chairperson of the Board shall have the following powers, namely:—

- (i) on the recommendations of the Selection Committee, fixing the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of posts to which the appointments can be made by the Board under the provisions of the Act;
- (ii) deputing members of the staff of the Institute, for training or for a course of instruction outside India subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time provided that the visit abroad by the Director to any side shall be approved by the Chairman, Council of National Institutes of Technology, Science Education and Research.
- (iii) execution of the contract of service between the Institute and the Director or Deputy Director on behalf of the Central Government; and
- (iv) taking action in emergent cases and to inform the Board of such action for confirmation and ratification.

- 15. Travelling allowances and sitting fees.**—The members of the Board and other authorities of the Institute and members of the Committees constituted under the Act or these Statutes or appointed by the Board and other authorities shall be entitled to travelling allowance, daily allowance and sitting fee for attending the meetings of the authorities and their Committees as laid down by the Board from time to time.
- 16. Departments, Schools or Centres** - The Institute shall consist of such number of Departments, Schools or Centres to be known by such names, as the Board may within the budgetary provision approve from time to time, on the recommendations of the Senate.
- 17. Director and his Powers** - (1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendation of a Search-cum-Selection Committee consisting of at least five members including the Chairman who are experts in the field of science and technical education with experience at national and international level.
- (2) The Director shall be appointed for a period of five years and shall be governed by the terms and conditions of the contract of service entered into between the Institute and the Director in the manner specified in Schedule 'A'.
- (3) Subject to the budget provisions made for the specific purpose, the director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down in the Ordinances.
- (4) The Director shall have the power to appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a limit specified for the Head of Department in the Central Government for each item:
- Provided that such appropriation shall not involve any increase in the budget and any liability in future years:
- Provided further that every such appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Board.
- (5) The Director shall have the power to write off irrecoverable losses up to a limit of ten thousand rupees and of irrecoverable value of store items lost or rendered unserviceable due to normal wear and tear or obsolete up to a limit of twenty five thousand rupee subject to such stipulations as may be made by the Board from time to time.
- (6) The Director shall have the power to donate obsolete equipment or store items as identified by a Committee constituted for this purpose by the Director, to any department, School or Centre in the vicinity of the Institute up to such limits as may be decided by the Board from time to time.
- (7) Where the Director is the appointing authority, he or she shall have the power to fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale, but not involving more than five increments, in respects of posts to which appointment can be made by him or her under the powers vested in him or her by the provision of the Act or these Statutes.
- (8) The Director shall have the power to employ Teaching Supporting Staff in the Laboratories, Technicians or Technical Instructors and Skilled Workmen, paid from contingencies from time to time, for not more than one year on such remuneration as may be decided by the Board.
- (9) The director shall have the power to send members of the staff for training or to attend course of instruction inside India subject to such terms and conditions as may be specified by the Ordinances.
- (10) The Director shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed.
- (11) If for any reason the Registrar is absent for a period not exceeding one month, the Director may take over or assign to any faculty member or member of staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he or she deems fit :
- Provided that if at any time the absence of the Registrar exceeds one month, the Board may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or assign the function of the Registrar.
- (12) All contracts for and on behalf of the Institute except a contract between the Institute and the Director shall, when authorised by a resolution of the Board passed in that behalf, be in writing and be expressed to be made in the name of the Institute and every such contract shall be executed on behalf of the Institute by the Director, but the Director shall not be personally liable in respect of anything under such contract.
- (13) The Director may, during his or her absence from headquarters authorise in writing the Deputy Director or in his or her absence, one of the Deans or the senior most Professor present to sanction

advances for traveling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and sign and counter-sign bills on his or her behalf.

- (14) The Director may, at his or her discretion, constitute such committees, as he or she may consider appropriate for smooth functioning of the Institute.
- (15) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his or her death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his or her functions owing to absence, illness or any other cause, the Director may discharge the functions assigned to the Chairperson under section 16 of the Act.
- (16) The Director may, with the approval of the Board delegate any of his powers, authorities or responsibilities vested in him by virtue of the Act and Statutes to one or more members of Academic or Administrative Staff of the Institute.

18. Deputy Director—

- (1) The appointment of the Deputy Director shall be made by the Board on the recommendations of the Selection Committee from among the senior faculty members.
- (2) The Deputy Director shall hold office for a period of three years which may be extended for another period of two years or one year each on the recommendation of the Board.
- (3) The Deputy Director shall be governed by the terms and conditions of the contract of service entered into between the Institute and the Deputy Director in the form specified in Schedule 'B'.
- (4) The Deputy Director shall have all the powers of the Director during the absence of Director or its vacancy.
- (5) The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research, and also with industrial undertakings and other employers.

19. Deans.—(1) The Institute shall establish not more than seven Deanships.

- (2) The Director shall appoint the Deans with the approval of the Chairperson of the Board.
- (3) The Dean shall hold his office for a period of two years which may be extended for another one year.
- (4) The Dean shall be appointed from amongst the Professors or Associate Professors.
- (5) Broad functions of Deans are enumerated in the Schedule 'C'.

20. Head of the Departments, Schools or Centres—

- (1) Each Department or School or Centre of the Institute shall be placed in charge of a Head who shall be selected by the Director, from amongst the Professors and Associate Professors of that Department, School or Centre :

Provided that if a Department, School or Centre has no Professor or Associate Professor, the Director may appoint an Assistant Professor of that Department, School or Centre as Head of the Department, School or Centre.

- (2) The Head of a Department, School or Centre shall hold his or her post for a term of two years :

Provided that the Head of a Department after the expiry of his or her term of office shall continue to hold office till the appointment of his or her successor:

Provided further that no person shall head a Department, School or Centre continuously for a period exceeding three years, unless such person is specially appointed at least for a second term.

- (3) The Director may himself take temporary charge of a Department, School or Centre or hand it over in the charge of the Deputy Director or a Professor from another Department for a period not exceeding six months.
- (4) The Head of Department shall be responsible for the entire work of the Department, School or Centre subject to the general control and supervision of the Director.

- (5) The Head of Department shall be duty bound to see that the decisions of the authorities of the Institute and of Director are properly carried out and the Head of the Department shall perform such other duties as may be assigned to him or her by the Director.
- (6) Before appointing a person to the post of Head of Department, School or Centre, the Director shall ascertain the willingness, of the persons to be appointed as Head and shall select a person by rotation from among eligible and willing persons.
- (7) Whenever it is proposed to deviate from the principle of rotation, such appointment shall be made only with prior approval of the Chairperson, Board of Governors and for reasons to be recorded in writing and shall also be reported to the Senate and the Board along with reasons for deviation, in their next meeting.

21. **Registrar.**—(1) The Registrar shall be appointed for a fixed term of five years on deputation or contract basis.

- (2) The review of performance of the Registrar upon completion of one year of service may be carried out by the Committee to be constituted by the Board for the purpose of continuation for the remaining period of contract and thereafter, Board may carry review of the performance of Registrar as and when it may wish.
- (3) The Registrar shall act as Secretary of the Board, Senate and such other Committees to which he may be required by the Statutes to act as such.
- (4) The Registrar shall report to the Director of the Institute for all his functions including of Secretary to the Board.

22. **Classification of the Members of the Staff—**

(1) Except in the case of employees paid from contingencies, the members of staff of the Institute shall be classified as under :-

- (i) **Academic staff :** Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Professor Training and Placement, and such other academic posts as may be decided by the Board from time to time;
- (ii) **Technical staff :** System Manager, Workshop Superintendent, Librarian, Scientific Officers, Research Engineers, Deputy Librarian, Assistant Workshop Superintendent, System Analyst, Programmer, Foreman, Technician, Instructor, Laboratory Assistant, Mechanic, Overseer, Technical Assistant, Draftsman, and such other technical posts as may be decided by the Board from time to time; and
- (iii) **Administrative and others staff :** Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar, Accounts Officer, Audit Officer, Estate Officer, Executive Engineer, Assistant Engineer, Junior Engineer, Medical Officer, Medical Assistant, Horticultural Assistant or Officer, Office Superintendent, Security Officer, Stores Officer, Store Keeper, Office Assistants, Data Entry Operators and such other Administrative and other staff as may be decided by the Board from time to time.

(2) The posts of Academic Staff shall be vacation posts only.

23. **Appointments.**—(1) The posts at the Institute shall be filled by advertisement on all India basis:

Provided that the ratio between the direct recruitment and promotion posts other than the post of Director or the Deputy Director shall be filled up as per the recruitment rules.

- (2) The reservation of posts shall be in accordance with the rules and instructions of the Central Government.
- (3) For the purposes of appointments, the rules as may be applicable to the Central Government employees shall apply.
- (4) The Selection Committees, for filling posts of the Institute (other than the posts on contract basis) by direct recruitment or by promotion from amongst the members of staff of the Institute, shall be constituted in the manner as laid down by the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India or Board from time to time by Ordinances.
- (5) The Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than on contract basis) by direct recruitment or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the following manner, namely :-

- (a) The Selection Committee for recruitment to the posts of Academic Staff (excluding the Director), or for promotion shall be as under:—

(i)	Director or Deputy Director	Chairman
(ii)	Visitor's Nominee	Member
(iii)	Two nominee of the Board one being an expert, but other than a member of the Board	Member
(iv)	One expert nominee of Senate from outside the Institute	Member
(v)	Head of Department concerned (for other than the post of Professor)	Member

- a. The Selection Committee for recruitment of Technical posts shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman
(ii)	One expert from outside the Institute	Member
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member
(iv)	Concerned Head of Department	Member
(v)	Registrar	Member

- (b) The Selection Committee for recruitment of Administrative and Ministerial Staff shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman
(ii)	One expert from outside the Institute	Member
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member
(iv)	Registrar	Member

- (c) The Selection Committee for Senior Administrative and other equivalent post carrying the pay scale of Assistant Professor and above shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman
(ii)	One expert from outside the Institute	Member
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member
(iv)	Nominee of the Board	Member
(v)	Registrar	Member

- (6) In case the Selection is made for the Registrar or the equivalent post, the Board shall nominate a person as member of the Selection Committee and the Registrar shall not sit as member thereon.
- (7) In the absence of the Deputy Director, the Director may nominate any member of the staff of the Institute to be the member of the Selection Committees in his place.
- (8) Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Board may, constitute such Adhoc Selection Committee, as may be necessary.
- (9) Where a post is to be filled by promotion from amongst the members of the Institute or temporarily for a period not exceeding twelve months, the procedure for such appointment shall be as specified by Ordinances.

- (10) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board shall have the power to make appointments of persons having special skill or knowledge to suit the emergent need of a Department, School or Centre.
- (11) If the post is to be filled by advertisement, the terms and conditions of the post shall be mentioned in the advertisement and the Screening Committee for the purpose of short listing the eligible and most desirable candidates shall screen all applications received within the date specified in the advertisement.
- (12) Some of the posts may be exempted from the interview which may be decided by the Board. In case, where the interview is compulsory, the Selection Committee shall examine credentials of all candidates who have been called for the interview, interview the eligible candidates and recommend the appointment of the most suitable candidates to the competent authority for approval.
- (13) The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of interview and if for any reason the recommendations are not approved by the competent authority or appointment orders not issued after the approval of recommendations within the said period of one year, the recommendations shall lapse and fresh advertisement shall be issued.
- (14) No act or proceeding of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.
- (15) Unless otherwise provided for under these Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall continue to exercise its functions in relation to that post till the appointment is made against that post.
- (16) All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its next meeting.
- (17) The applications of the employees eligible for promotion under Assured Career Progression shall be considered by the Departmental Promotion Committees before any promotion or up-gradation is recommended.
- (18) The Departmental Promotion Committee shall be as follows, namely:—

(i)	Director or Deputy Director	Chairman
(ii)	Concerned Head of Department	Member
(iii)	Head of Department of other Department	Member
(iv)	Registrar	Member

24. General Terms and Conditions of service of permanent employees.—Permanent employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions, namely:—

- (i) subject to the provisions of the Act and the Statues, all appointments to posts under the Institute shall be made on probation for a period of two years and after completion of the probation period, the employee shall be confirmed in his posts -
- Provided that if the probation of an employee is found to be not satisfactory, the appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any employee for a further period not exceeding one year.
- (ii) as confirmed, employee shall continue to hold his or her office subject to the provisions of the Act and the Statutes, till the end of the month in which he or she is superannuated in his or her respective posts;
- (iii) the age of superannuation shall be as specified for various classes and categories of the employees of the Institute by the Central Government;
- (iv) the employees of the Institute shall be entitled to allowances in addition to pay as admissible to the Central Government Employees;
- (v) the employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their families as per the Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944;
- (vi) the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964;
- (vii) the employee on or after the 4th March, 2014 shall be governed by the New Pension Scheme announced by the Central Government;

- (viii) the application of the employees of the Institute shall be forwarded for employment outside the Institute only three times in a year in accordance with the procedure specified in **Schedule 'D'**;
- (ix) the employees of the Institute shall be entitled to Leave Travel Concession as admissible to the Central Government Employees;
- (x) overtime and night allowance shall be paid to the eligible employee of the Institute as is admissible to the Central Government Employees.

25. Code of Conduct.—The code of conduct for employees shall be made by each Institute in consultation with the Central Government and till such time the code of conduct for employees is framed, the Institute shall follow the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

26. General terms and conditions of services of temporary employee.—(1) The service of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice of one month in writing given either by the employee to the appointing authority or by the appointing authority to the employee.

- (2) The other terms and conditions of service of such employee shall be such as may be specified by the appointing authority in his or her letter of appointment.

27. Appointments on contract.—(1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board may in special circumstances with the prior approval of the Visitor appoint an eminent person on contract for a period not exceeding five years.

- (2) Subject to the provision of the Act, the Board may appoint any person on contract in the prescribed scales of pay and on terms and conditions applicable to the relevant post for a period not exceeding three years.
- (3) For making such appointments, the Chairperson, Board of Governors shall constitute such adhoc Selection Committee, as the circumstances of each case may require:

Provided that such constitution of committee shall be reported to the Board for confirmation.

28. Provident fund and pension schemes.—The Central Government shall assume the liability of pension in respect of those employees who retire after conversion of erstwhile Bengal Engineering and Science University to the Institute and after takeover, the existing employees of the Institute shall be given options regarding their service conditions and accordingly the pension liabilities shall be as under:-

- (i) The liability for payment of existing pensioners covered under State Pension Rules shall continue to be on the State Government. However, the liability for payment of pension for such employees who shall superannuate after the date of conversion of Bengal Engineering and Science University to the Institute will vest on the Central Government;
- (ii) Employees recruited before 1st January, 2004 who opt for Central Government administered pension scheme shall be governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and if they opt for the existing pension Scheme, i.e., State Government Pension Scheme shall be governed by the said provisions;
- (iii) Employees recruited on or after 1st January, 2004 and before 4th March, 2014 who opt for Central Government administered Pension Scheme shall be governed by the New Pension Scheme and if they opt for the State Government Pension Scheme shall be governed by the said provisions; and
- (iv) Employees recruited after 4th March, 2014, i.e., the date of conversion of the Bengal Engineering and Science University to Institute shall be governed by the New Pension Scheme.

29. Resignation.—Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these Statutes, a member of the staff of Institute may resign, -

- (i) in case of permanent employee, after giving three months' notice in writing to the appointing authority, or by paying three months salary in lieu thereof; and
- (ii) in case of temporary employee, after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof.

Provided that the resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority.

30. Retirement.—(1) At any time after an employee has completed twenty years qualifying service, he or she may, by giving notice, of not less than three months, in writing to the appointing authority, retire from service as per the terms and conditions laid down by the Central Government, from time to time, for its own employees.

- (2) The appointing authority has the right to retire the employee before superannuation as premature retirement in accordance with the provision of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
- (3) An employee may retire from service on account of any bodily or mental infirmity that permanently incapacitates him or her from service subject to the following conditions, namely :-
- (i) the employee shall submit application to the Registrar through proper channel and produce a medical certificate from medical authority as may be specified by the Ordinances;
 - (ii) if the medical authority grants fitness certificate for a lower post, the employee, if willing may be appointed on such post, if available; and
 - (iii) the medical report shall precede or coincide with the date of retirement.
- 31. Advances.**—The permanent employee of the Institute shall be entitled to draw advances for various purposes as admissible to the Central Government Employees.
- 32. Deputation.**—Deputation is permissible for appointment (temporary transfer) in public interest outside the Institute to Central Government, State Governments Universities or Autonomous Bodies including Public Sector undertaking and subject to such terms and conditions as may be specified in the recruitment rules.
- 33. Residential accommodation.**—(1) Every employee of the institute may be allotted an unfurnished house, if available within the campus of the Institute for residential use, subject to such conditions as may be laid down by the house allotment rules of the Institute.
- (2) An employee of the Institute who has been allotted house for residential use shall be charged with monthly license fee at the rate as fixed by the Board from time to time.
 - (3) In addition to the license fee, water, electricity and charges for any other service rendered shall be recovered from an employee on actual basis or at such rates as may be determined by the Board from time to time.
 - (4) The Board may, allot furnished or unfurnished accommodation without levying any license fee or levying such fee at concessional rates to any category of staff, if it considers it necessary to do so in the interest of the Institute.
- 34. Leave.**—The leave for all the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Leave) Rules 1972.
- 35. Scholarships, fellowships, medals and prizes -** The Board may, on the recommendation of the Senate, institute such scholarships, fellowships, medals and prizes as it may consider necessary.
- 36. Fees.**—The Institute shall charge the following fees, namely :-
- (i) the tuition and the hostel fee shall comprise of (a) fees determined by the National Institutes of Technology, Science Education and Research Council, and (b) fees which shall be determined by the Board of Governors ;
 - (ii) the caution money which shall be refundable to student, scholars and fellows at the time of finally leaving the Institute, after deduction of dues, if any and where no claim for a refund is received within two years of leaving the Institute, the caution money shall be credited into the Student Welfare Fund;
 - (iii) the fee for concession and scholarships as may be determined by the Central Government from time to time.
- 37. Students' hostels and halls.**—(1) Every Institute shall be a residential institution and all students and research scholars shall reside in the hostels and halls of residence built by the Institute for the purpose:
- Provided that for certain cases, the Director after giving reasons in writing may permit a student or scholar to reside with his or her parent or guardian, but where any such permission is accorded to a student or scholar, such student or scholar, as the case may be, shall be liable for the payment of such rent as he or she shall have been liable for the payment of rent had he or she resided in the hostel.
- (2) Every resident in the hostels and halls shall conform to rules laid down by the Institute for the purpose.
 - (3) For each hostel or hall of residence there shall be a Warden and such number of Assistant Wardens and other staff as may be determined by the Board from time to time.
 - (4) The members of the Academic Staff shall be appointed by the Director as Warden and Assistant Warden.

- (5) Wardens and Assistant Wardens shall be entitled to rent free unfurnished residential accommodation corresponding to the type of accommodation to which they are normally entitled.
- (6) The Board shall lay down rules for the management of the hostels and halls of residence.

38. Conferment of honorary degrees.—The Institute may confer honorary degrees for a few exceptional and outstanding persons for their illustrious contribution in their respective fields:

Provided that all proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Senate and shall be approved by the Board.

THE INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCHEDULE 'A'

[See Statute 17(2)]

WHEREAS in terms sub-section (1) of Section 17 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007, (hereinafter called the Act) and sub-statute (2) of Statute 17 (in case of IEST, Shibpur) (hereinafter called Statutes), the Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Director of the Institute on contract for five years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

- [1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject to the provisions of the Act, and Statutes covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- [2] The appointee shall be on service under the agreement for a period of five years with effect from the date of joining the post. Provided that if the appointee on conclusion of the period of service mentioned above is below 70 years of age, his or her service shall continue till the 30th June of the year in which the appointee completed the said period of service or till he or she attains the age of 70 years whichever is earlier.
- [3] The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute and serve the Institute as the whole time Director of the Institute with powers and duties provided in said Act and Statutes.
- [4] The appointee shall devote his or her whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act and the Statutes. Any information obtained by appointee during or in connection with his or her service and the work upon which he or she is engaged shall be treated as secret and confidential and the appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923 as amended from time to time.
- [5] During the period of his or her service except in respect of the period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to an initial pay of Rs.....in the scale of Rs.....that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his or her pay and allowances during the period his or her deputation shall be such as may be decided by the Board of Governors. In addition, the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. may be admissible from time to time as per rules of the Institute.
- [6] During his or her service, the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in these provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes. In the event of the appointee being employee of any other similar institute of national importance of the Government of India and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he or she shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the Institute he or she shall continue to be governed by Contributory Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his or her service under this contract like other permanent employees of the institutes as per the Statutes.
- [7] Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

- [8] The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.
- [9] The appointee shall be entitled to furnished free of license fee office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.
- [10] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.
- [11] (i) The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowances Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest.
- (ii) If the appointee is required to travel in the interest of the Institute work, he or she shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the travelling allowance Rules of the institute in force from time to time. Similarly, the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his or her hometown as per the Rules of the Institute.
- [12] Any amount received by the appointee from books and articles published by him or her at own cost shall be left to him or her as an encouragement for continuing his/her work in that line. He / She would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.
- [13] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned: Provided that always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his/her basic pay for three months. The appointee may terminate his or her service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.
- [14] The appointee will be allowed the status of Professor of the Department of his or her specialty and taken part in teaching and research in the said Department subject to his or her convenience.
- [15] In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee shall be governed by the said National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made there under for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairman of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his or her hand and the appointee has hereinto set his or her hand.

Signed and delivered for the

Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur

By the Chairperson,

Board of Governors of the Institute

In the presence of Signature of Witnesses with addresses Signed and delivered by the said appointee. In the presence of

Signature of Witnesses with addresses

Director, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur.

SCHEDULE 'B'

[See Statute 18 (3)]

CONTRACT OF SERVICE FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR

An AGREEMENT for service made this daydate of One thousand nine hundred between (herein after called the appointee) of the one part and the Indian Institute of Engineering Science and Technology incorporated under the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007.

“WHEREAS in terms of Section 17(5) of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (hereinafter called the Act) and sub- Statute (3) of Statute 18 (in case of IEST, Shibpur) (hereinafter called Statutes), the appointment of the Deputy Director shall be made by the Board on the recommendations of the Selection Committee from among the senior most faculty members by Chairperson of the Board on contract for a period of three years initially which may be extended by two times for one year each on the recommendation of the Board and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

- (1) This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject to all times to the provision of the Act, and Statutes covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- (2) The appointee shall be on service under the agreement for a period of three years extendable by two years on year to year basis with effect from (that is date of joining the post) provided that if the appointee on conclusion of the period of service mentioned above is below 65 years of age, his service shall continue till the 30th June of the year in which the appointee concludes the said period of service of till he attains the age of 65, whichever is earlier.
- (3) The appointee shall serve the Institute as the whole time Deputy Director of the Institute with powers and duties provided in the Act and Statutes. He shall report to the Director for discharge of his duties.
- (4) The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rule and other provisions of the said Act and the Statutes. Any information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923, as amended from time to time.
- (5) During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to an initial pay of Rs..... in the scale of Rs..... provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors. In addition the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.
- (6) During his service under these presents the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in these provision as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes. In the event of the appointee being employer of any other Indian Institute of Engineering Science and Technology (IEST) and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund Cum Gratuity Scheme or General Provident Fund Cum Pension Cum Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the Institute he shall continue to be governed by contributory Provident Fund cum Gratuity Scheme or General Provident Fund cum Pension cum Gratuity Scheme as immediately prior to this contract appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the Institutes as per the Statutes.
- (7) Notwithstanding anything hereinbefore contained the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to received the whole or in part be determined by the Institute the benefit of any improvement in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provision of these presents.
- (8) The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.
- (9) The appointee shall be entitled to furnished free of license fee accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.
- (10) The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.
- (11) The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowance Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest.
If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the T.A. Rules of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.
- (12) Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

- (13) The service of appointee may during the period of contract be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned. Provided always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.
- (14) The appointee will be allowed the status of Professor of department of his specialization to the part in teaching and research in the Department of subject to his convenience.
- (15) In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 or any modification thereon for the time being in force and the Statutes made there under for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first written, the Chairman of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the

Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur,

by the Chairperson,

Board of Governors of the Institute

In the presence of

Signature of Witnesses with addresses

Signed and delivered by the said appointee

In the presence of Signature of witnesses with addresses

Deputy Director, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur.

SCHEDULE 'C'

[See Statute 19 (5)]

DEANSHIPS

The institute may have not more than seven deanships. There may be following Deanships in Indian Institute of Engineering Science and Technology with the approval of the Board of Governors.

Dean Academic

Dean Planning and Development

Dean Student Welfare

Dean Faculty Welfare

Dean (Research and Consultancy)

Deanship is of functional position and not administrative one and such be discharged in its right spirit. Dean must be nominated by the Director only from amongst the Professors/ Associate Professors, but should not be Head of the Department.

The Tenure of Deanship shall ordinarily be two years extendable by one more year, but Director with the approval of the Chairperson, Board of Governors may relieve an or all Dean before such period.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEANS

The following duties and responsibilities have been entrusted to the Deans.

1. Dean (Academic)

He / She will advice the Director in:

- (a) Admission and enrolment of students;
- (b) Finalization of academic calendar, time-tables, registration of students for course work and examinations, class room arrangements and all other requirement for proper conduct of class work.
- (c) Conduct of class tests and co-ordinating the finalization of session's evaluations and for ensuring the timely declaration of results;
- (d) Supervision of the maintenance of up-do-date academic records of all categories of students;

- (e) Publication and distribution of the syllabi;
- (f) Organizing meeting of all the Institute level academic bodies;
- (g) Arranging the issue of all academic certificate, medals and prizes to the students;
- (h) To arrange for conduct of those examination which are to be conducted by the Institute and stipulated in the Institute regulations.
- (i) To formulate policies for the conduct of research and steps to maintain suitable standard by implementing the Board of Governors/ Senate decision.
- (j) To execute the policy of the Senate in the conduct of P.G., Ph.D and other research programmes including the examination of the thesis.
- (k) To co-ordinate for the conduct of Convocation.
- (l) All proposals to modify the teaching programmes will be considered by, BOAC, for which Dean (Academic) i.e. the Chairman and if approved will be send to the Senate for formal approval.
- (m) To admit sponsored Early Faculty Induction Programme and Quality Improvement Programme candidates.
- (n) To suggest the Director to take suitable steps from time to time strive for the high academic standard.

2. Dean (Planning and Development)

He or she will advice the Director in the following:

- (a) Planning the expansion and diversification of institutional activities and preparation of all developmental proposals, to the extent up of submission of plan and estimates related to Civil, electrical, Works, Sanitary, network system, etc.
- (b) Maintenance of all necessary statistical data regarding plan and projects required for compilation of various reports periodically required to be sent to Ministry of Human Resource Development and other agencies.
- (c) Monitoring the physical targets and utilization of funds in respect of Projects and Consultancy and in the preparation of relevant papers for submission of Progress reports.
- (d) Formulating proposal for new courses and in organizing meetings of faculty members and external experts for this purpose in this regard;
- (e) In the effort to expand and monitor the activities of consultancy, testing and sponsored research of Institute and to ensure submission of progress reports;
- (f) In coordinating the formulation and conduct of non-formal and continuing education and extension programmes.
- (g) To arrange for the agenda and organization of the meeting for procurement of equipments related to projects and testing and consultancy.
- (h) Providing necessary data for the budget and new estimates and plans to the Building and Works Committee to the Registrar.

3. Dean (Students Welfare)

- (a) He or she will advice the Director in organizing the students' counseling.
- (b) He or she will be responsible for the publication of students' Magazines, News Bulletins, News letters etc.
- (c) He or she will advice the Director in matters related to students; discipline and welfare.
- (d) He or she will assist the Director in matters related to the Students Union/ Association or Council.
- (e) He or she will co-ordinate the NCC, NSS, Games, Swimming Pool, Sports, Cultural and Co-curricular and Extra-curricular activities of students.
- (f) He or she will keep a record of Alumni and correspond with them.
- (g) He or she will conduct the enquiries of students indulged in indiscipline.
- (h) He or she will correspond with Parents/ Guardians of the Students about their progress and individual problems/ welfare.

4. Dean Faculty Welfare

He or she will advise the Director in matter related to:

- (a) Deputation of faculty to various institutions under Quality Improvement Programme under rules applicable to them.
- (b) He or she will advise the Director for deputation of the faculty members to various conferences, seminars, short-term courses, training programmes, foreign teaching/ training assignments etc.
- (c) He or she will chair the committee meetings of the evaluation of papers submitted or to be submitted to the conferences or seminars by the faculty members.
- (d) He or she will assist the Director in organizing training programmes for faculty.
- (e) He or she will assist the Director in the supervision of the construction and the maintenance work of buildings, roads water supply, sanitation, lawns and gardens.
- (f) He or she will assist the Director in maintaining the discipline and work ethos among the various departments and between the faculty members.
- (g) He or she will assist the Director in maintaining the high academic standards and achieving academic excellence in the institution.
- (h) Supervision over faculty discipline, integrity and commitment.

5. Dean (Research and Consultancy)

He or she will advise the Director in matter related to:

- (a) Frame rules for industrial sponsored research and consultancy.
- (b) Create and maintain database regarding faculty expertise.
- (c) Facilitate through his or her office faculty in procuring equipments necessary to conduct research or consultancy work, recruitment of project staff.
- (d) Coordinate co-curricular activities (technical festivals, quizzes etc.) for the students.
- (e) Provide guidance for submitting proposals to funding agencies such as Departments of Science and Technology, Bhabha Atomic Research Centre, Board of Research in Nuclear Science, Indian Space Research Organization, Defense Research and Development Organization, Aeronautics Research and Development Board, Ministry of Information Technology, etc.

SCHEDULE 'D'

[See Statute 24 (vii)]

FORWARDING OF APPLICATIONS FOR EMPLOYMENT ELSEWHERE

Applications for employment shall be forwarded only as per the norms approved by the Board of Governors:

All employees are under terms of their service, required to observe following norms for applying for other jobs in Government / Private of elsewhere:

1. General Principles:

- (i) A permanent employee, having good promotion prospects, is under a normal obligation to devote his energies whole-heartedly to the duties of his post. It will not be unjust if his application for other employment is withheld and not forwarded.
- (ii) Application of a temporary employee should not be withheld unless there are compelling grounds to be recorded and communicated to such temporary employees. Application from a temporary employee, who may have good prospects of being made permanent in due course, should be dealt with on merits.
- (iii) Employees who have been give some technical training at Government or Institute expense, should continue to serve the institute at least for the bond period and withholding of application in such a case is justifiable. Board may decide the policy in such cases.
- (iv) Where an employee cannot be spared without serious detriment to important work in hand, his application can be withheld.

2. Application for post advertised by Union Public Service Commission

Institute employees can apply directly to posts advertised by Union Public Service Commission but should keep the Head of the Department and Director informed. Subsequently, he should seek the permission for such appointment, but before appearing for the interview.

3. Posts in the other Indian Institute of Engineering Science and Technology or Central Universities and other comparable Institutions of Higher Education.

- (a) The application from permanent employee should accompany with an undertaking that he will either join back to the concerned Indian Institute of Engineering Science and Technology or resign from post held by him in that Indian Institute of Engineering Science and Technology after 3 years.
- (b) Temporary employee should give an undertaking to resign in the event of his selection and acceptance of the new appointment.

Foreign assignments against open advertisement:

- (a) The employee can apply with prior permission of the Chairperson, Board of Governors to be confirmed by the Board of Governors.
- (b) If the time is short, an advance copy can be sent to the concerned agency with a copy to the Chairperson, Board of Governors for approval through proper channel.
- (c) Such employee shall not be considered as an official nominee of Indian Institute of Engineering Science and Technology concerned.

Post not Advertised or Circulated.

The application shall not be forwarded.

Registration with Employment Exchange.

Temporary employees can register with permission, but should resign when selected.

Permanent employee can register.

- (a) Only for higher post under the Government/ Public Sector Undertaking or Autonomous Body.
- (b) On production of a No objection Certificate, from the Indian Institute of Engineering Science and Technology, and
- (c) An undertaking that he will after the completion of three years of joining the new post either rejoin to the concerned Indian Institute of Engineering Science and Technology or resign.
- (d) When an employee rejoins his parent office, he will not be granted a “no objection certificate” for a period of three years to register his name with the Employment Exchange again.

Employee under Suspension or Charge Sheeted.

No application should be forwarded if the employee is under suspension or a charge sheet has been issued or filed in the court or sanction for his prosecution has been accorded.

Employees whose conduct is under Investigation.

An application of an employee whose conduct is under investigation may be forwarded with brief comments on the nature of allegations and with a note that he would not be released if the employee is placed under suspension or a charge sheet is issued or filed in the court in sanction for his prosecution is accorded before his selection.

[F. No. 33-10/2014-T.S.-III]

S. P. GOYAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 2017/श्रावण 2, 1939

No. 652]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 2017/SRAVANA 2, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 948(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर परिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर (संशोधन) परिनियम, 2017 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर परिनियम, 2017 के परिनियम में,—

(1) संक्षिप्त नाम में “का परिनियम” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(2) परिनियम 17 के उप परिनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) संस्थान के निदेशक की संविदा पर नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा कम से कम पांच सदस्यों से मिलकर बनने वाली खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। परिषद् का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष होगा और उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका प्रतिनिधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले तीन अन्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त उसका एक सदस्य होगा।”

(3) परिनियम 23 के उप परिनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) सीधी भर्ती द्वारा यह संस्थान के कर्मचारिवृंद के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन पदों (संविदा के आधार पर पदों से भिन्न) को भरने के लिए चयन समिति का गठन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अनुसूची 'ड' में विनिर्दिष्ट की जाएंगी और चयन समिति, शैक्षिक कर्मचारिवृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | निदेशक या उप निदेशक | - | अध्यक्ष |
| (ii) | कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती | - | सदस्य |
| (iii) | बोर्ड में दो नामनिर्देशिती, जिनमें से एक बोर्ड के सदस्य से भिन्न एक विशेषज्ञ होगा | - | सदस्य |
| (iv) | संस्थान के बाहर से सीनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| (v) | संबंधित विभाग का अध्यक्ष (उप निदेशक और प्रोफेसर के पद से भिन्न के लिए) | - | सदस्य |

(ख) तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति नीचे दिए अनुसार होगी,—

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | निदेशक या उप निदेशक | - | अध्यक्ष |
| (ii) | संस्थान के बाहर से एक सदस्य | - | सदस्य |
| (iii) | मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती | - | सदस्य |
| (iv) | विभाग का संबंधित अध्यक्ष | - | सदस्य |
| (v) | रजिस्ट्रार | - | सदस्य |

(ग) प्रशासनिक और सचिवालय पदों पर भर्ती के लिए चयन समिति नीचे दिए अनुसार होगी,—

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | निदेशक या उप निदेशक | - | अध्यक्ष |
| (ii) | संस्थान के बाहर से एक सदस्य | - | सदस्य |
| (iii) | मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती | - | सदस्य |
| (iv) | रजिस्ट्रार | - | सदस्य |

(घ) ज्येष्ठ प्रशासनिक और अन्य तुलनीय पद, जिनका वेतनमान सहायक प्रोफेसर और उससे ऊपर है, के लिए चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | निदेशक या उप निदेशक | - | अध्यक्ष |
| (ii) | संस्थान के बाहर से एक विशेषज्ञ | - | सदस्य |
| (iii) | मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती | - | सदस्य |
| (iv) | बोर्ड का नामनिर्देशिती | - | सदस्य |
| (v) | रजिस्ट्रार | - | सदस्य |

(4) अनुसूची में, अनुसूची 'घ' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची ‘ड’

[परिनियम 23(5)(क) देखें]

शैक्षिक कर्मचारिवृद्ध की नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें

क्रम सं.	पदनाम, वेतन बैंड और शैक्षिक ग्रेड वेतन	अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अपेक्षाएं	संचित अनिवार्य क्रेडिट पाइंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 6,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3	पीएचडी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 7,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3	पीएचडी	किसी विख्यात संस्थान या उद्योग में पीएचडी पश्चा शिक्षा और अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव	10
3.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 8,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3 में न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव या किसी विख्यात शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में कुल छह वर्ष का शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव	20
4.	एसोसिएट प्रोफेसर, 9,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित, न्यूनतम वेतन 42,800 रुपए के साथ वेतन बैंड – 4	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसर के स्तर पर छह वर्ष या कुल 9 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए, 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ सहायक प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	50
5.	प्रोफेसर 10,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 4 में न्यूनतम वेतन 48,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 10 वर्ष या 13 वर्ष का कुल अनुभव, जिसमें से 7 वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए। जिसमें से 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष या 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर या किसी विख्यात संस्थान या अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में 9000 और 9500 रुपए के संयोजन में चार वर्ष का अनुभव	80
6.	प्रोफेसर (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान) 67,000-79,000 रुपए	पीएचडी	राष्ट्रीय महत्ता के किसी संस्थान में प्रोफेसर के रूप में 10,000 रुपए या 10,500 रुपए या 10,000 रुपए और 10,500 रुपए के संयोजन में शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ 6 वर्ष का अनुभव	150

टिप्पण 1 :

- (1) ग्रेड वेतन में कोई परिवर्तन खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा और सम्यकतः गठित चयन समिति सिवाय वहां जहां विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों द्वारा छूट प्रदान की गई हो, की सिफारिशों पर किया जाएगा।
- (2) सभी नए भर्ती किए गए व्यक्तियों के पास सुसंगत या समतुल्य विषय में पीएचडी होगी और उनके पास पूर्ववर्ती डिग्रियों में प्रथम श्रेणी होगी।
- (3) विद्यमान संकाय के सदस्य, जिन्होंने संस्थान में अपने साधारण शिक्षण भार के साथ या क्वालिटी सुधार कार्यक्रम में पीएचडी पूरी की है, पीएचडी में नामांकन अवधि को शिक्षण अनुभव के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (4) संस्थान प्रशासन में योगदान की संबंधित अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की जाएगी और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। विभागीय प्रशासन में योगदान की सिफारिश संबंधित अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए और उसका अनुमोदन निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए।
- (5) उन विभागों, जिनमें कोई रिक्ति नहीं है, उच्चतर शैक्षिक ग्रेड वेतन या कैडर में संचलन को विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा किंतु यह संबंधित विभागों के सेवारत संकाय सदस्यों तक ही निर्बंधित होगा।
- (6) स्थायी संकाय सदस्य, जिनके पास दस वर्ष से अधिक अनुभव है किंतु जिन्होंने इस अधिसूचना की तारीख को पीएचडी अर्जित नहीं की है, को निम्नलिखित मानकों के अनुसार एकमुश्त उपाय के रूप में चार चरणीय नम्य प्रणाली में रखा जाएगा :

क) पचास वर्ष या अधिक आयु के स्थायी संकाय सदस्य :

- (i) 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले सहायक प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम दस क्रेडिट पाइंट हों।
- (ii) 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों।
- (iii) 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित एसोसिएट प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों :

परंतु यह कि वह कानून के अधीन सम्यकतः गठित चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त पाया जाता है।

- ख) पचास वर्ष से कम आयु के स्थायी संकाय सदस्यों को किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पीएचडी करने के लिए प्रायोजित किया जाएगा, उन्हें संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश देने के लिए सम्यकतः संदाय प्रदान किया जाएगा और पीएचडी पूरा करने पर वह नए भर्ती नियमों के अनुसार चार चरणीय प्रणाली में जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- (7) भवन विन्यास विभाग में संकाय के लिए सहायक प्रोफेसर स्तर पर क्रेडिट पाइंटों की आवश्यकता पर बल न देते हुए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता होगी :
 - (i) एक वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 6,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;
 - (ii) दो वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;
 - (iii) उच्चतर संवर्गों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और क्रेडिट पाइंट आवश्यकता वहीं रहेगी जो इंजीनियरी और विज्ञान के लिए सारणी में दी गई है।

टिप्पण 2 : क्रेडिट पाइंट प्रणाली

निम्नलिखित क्रेडिट पाइंट प्रणाली होगी।

क्रम सं.	कार्यकलाप	क्रेडिट पाइंट
1.	एक बाह्य प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी की हो या चल रही हो या कोई पेटेंट अनुदत्त किया गया हो	प्रति परियोजना आठ क्रेडिट पाइंट या आविष्कारक के रूप में प्रति पेटेंट आठ क्रेडिट पाइंट (किसी परियोजना में एक से अधिक व्यक्तियों की दशा में, प्रधान अनुसंधानकर्ता को पांच क्रेडिट पाइंट मिलेंगे और शेष को अन्य सदस्यों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा।
2.	परामर्श सेवाएं	10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए, 5 लाख रुपए के परामर्श के लिए दो क्रेडिट पाइंट की दर से
3.	पूरी की गई पीएचडी (जिसके अंतर्गत शोध जमा करने के मामले हैं)	प्रति पीएचडी विद्यार्थी 8 क्रेडिट पाइंट (एक से अधिक पर्यवेक्षकों की दशा में गाइड (पहला पर्यवेक्षक) प्रति विद्यार्थी 5 क्रेडिट पाइंट लेगा और शेष को अन्य पर्यवेक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा)।
4.	विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स जर्नल में एक पेपर (संदत्त जर्नल अनुज्ञात नहीं)	अंतिम प्रोन्नति से प्रति पेपर चार पाइंट। प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक दो पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा।
5.	एक संगोष्ठी पेपर, जिसे विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स या वेब ऑफ साइंस संगोष्ठी या कोई अंतर्राष्ट्रीय विख्यात संगोष्ठी	अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पेपर 1 क्रेडिट पाइंट। प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक 0.6 पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा।
6.	विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, मुख्य वार्डन, भारसाधक प्रोफेसर (प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट) सलाहकार (संपदा), मुख्य सर्तकता अधिकारी, पीआई (परीक्षा), टीईक्यूआईपी (समन्वयक)	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 16 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
7.	वार्डन, सहायक वार्डन, एसोसिएट संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष या संयोजक, संस्थान शैक्षिक समितियां, संकाय प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र या सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं या पुस्तकालय या प्रवेश या विद्यार्थी कार्यकलाप और अन्य संस्थानिक कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
8.	विभिन्न स्थायी समितियों और विशेष समिति के अध्यक्ष और संयोजक (पदेन स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा) विभिन्न इकाईयां या समतुल्य के (प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए) संकाय प्रभारी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 3 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
9.	विभागाध्यक्ष द्वारा पहचान किए गए विभागीय कार्यकलाप जैसे न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोगशाला या विभाग स्तरीय समिति के प्रभारी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 3 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
10.	कार्यशाला या संकाय विकास कार्यक्रम या न्यूनतम पांच कार्यदिवस की अवधि के लघु अवधि पाठ्यक्रम, जिनका समन्वयक या संयोजक के रूप में प्रस्ताव किया गया है	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पाठ्यक्रम 2 पाइंट
11.	पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में शैक्षिक नेटवर्कों आदि की वैश्विक पहल, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करने के लिए दो सप्ताह की अवधि के कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का कार्यक्रम	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 2 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
12.	अध्यक्ष या सचिव के रूप में आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 3 पाइंट

13.	किसी दिए गए संवर्ग के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत शिक्षण अनुभव से अधिक सेवा अवधि	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
14.	नई प्रयोगशालाओं की स्थापना	अंतिम प्रोन्नति से 4 क्रेडिट पाइंट
15.	छह क्रेडिट घंटों के पाठ्यक्रम से अधिक सिद्धांत शिक्षण	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
16.	स्नातकोत्तर मार्गदर्शित निबंध	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
17.	स्नातक परियोजनाएं	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.25 पाइंट
18.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 18 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 6 पाइंट
19.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें या विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में पुस्तक अध्याय	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
20.	महत्वपूर्ण आउटरिच संस्थान बाह्य कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
21.	आईईईईई, एफएनए, एफएनएई, एफएनएएससी का फेलो	10 क्रेडिट पाइंट
22.	प्लेसमेंट प्रतिशत (केवल प्लेसमेंट कक्ष अधिकारियों या प्लेसमेंट के संकाय प्रभारी के लिए)	
	85 प्रतिशत से अधिक	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 20 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 4 पाइंट
	75 प्रतिशत – 84 प्रतिशत (प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और एकल जॉब प्रस्ताव पर आधारित होगा)	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट

[सं. एफ. 33-10/2014-टीएस. III]

आर. सुब्रह्मनियम, अपर सचिव

टिप्पण : मूल परिनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 293(अ), तारीख 24 मार्च, 2017 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

G.S.R. 948(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007), with the prior approval of the Visitor, the Central Government hereby makes the following Statutes further to amend the Statutes of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statutes, 2017, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These Statutes may be called the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (Amendment) Statute, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Statute of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur Statute, 2017, —

(1) in short title, the words, “the Statute of” shall be omitted;

(2) in Statute 17, for sub-statute (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendations of a Search-cum-Selection Committee constituted by him consisting of atleast five members, out of which the Chairperson of the Council shall be its Chairperson and the Secretary of the Department of Higher Education or his representative shall be one of its members and three other experts in the field of technical education with experience at national and international level.”;

(3) in Statute 23, for sub-statute (5), the following shall be substituted, namely:—

“(5) The Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than on contract basis) by direct recruitment or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the following manner, namely :—

(a) The qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff (excluding Director), or promotion shall be as specified in Schedule 'E' and the Selection Committee for making recommendations for appointment of Academic Staff (excluding Director) shall consist of the following members, namely:—

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	Visitor's Nominee	Member;
(iii)	Two nominee of the Board one being an expert, but other than a member of the Board	Member;
(iv)	One expert nominee of Senate from outside the Institute	Member;
(v)	Head of Department concerned (for other than the post of Deputy Director and Professor)	Member.

(b) The Selection Committee for recruitment of Technical posts shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	One expert from outside the Institute	Member;
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member;
(iv)	Concerned Head of Department	Member;
(v)	Registrar	Member.

(c) The Selection Committee for recruitment of Administrative and Ministerial Staff shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	One expert from outside the Institute	Member;
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member;
(iv)	Registrar	Member.

(d) The Selection Committee for Senior Administrative and other equivalent post carrying the pay scale of Assistant Professor and above shall be as under:

(i)	Director or Deputy Director	Chairman;
(ii)	One expert from outside the Institute	Member;
(iii)	Nominee of Ministry of Human Resource Development	Member;
(iv)	Nominee of the Board	Member;
(v)	Registrar	Member.”;

(4) in the Schedule, after Schedule 'D' and the entries relating thereto, the following Schedule shall be inserted, namely:—

“Schedule ‘E’

[See Statute 23 (5) (a)]

Qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff

Sl.No.	Designation, Pay Band and Academic Grade Pay	Essential Qualification	Essential Requirements	Cumulative Essential Credit Points
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 6000	Ph.D.	NIL	NIL
2.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 7000	Ph.D.	one year post Ph.D. experience of Teaching and Research in Institution of repute or Industry	10
3.	*Assistant Professor Pay Band-3 with Grade Pay of Rs. 8000 with a minimum pay of Rs. 30000	Ph.D.	three years after Ph.D. or six years total teaching and research experience in reputed academic Institute/ Research and Development Labs or relevant industry.	20
4.	Associate Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 9500 with a minimum pay of Rs. 42800	Ph.D.	six years after Ph.D. of which at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs. 8000; Or nine years total working experience, of which three years should be after Ph.D., with at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs. 8000.	50
5.	Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 10500 with minimum pay of Rs. 48000	Ph.D.	ten years after Ph.D. or thirteen years total working experience, out of which seven years should be after Ph.D. At least three years at the level of Associate professor with Academic Grade Pay of Rs. 9500 or four years at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs. 9000 or combination of Rs. 9000 and Rs. 9500 or equivalent in an Institution of repute or Research & Development lab or relevant industry.	80
6.	Professor (Higher Administrative Grade Scale) Rs. 67000–79000	Ph.D.	Six years as Professor with Academic Grade Pay of Rs. 10000 or Rs. 10500 or a combination of Rs. 10000 and Rs. 10500 in an Institute of National Importance.	150

Note 1:

- (1) Any change in the grade pay will be through open advertisement and on recommendation of duly constituted selection committee, except where specifically exempted in these rules.
- (2) All new entrants shall have Ph.D. in the relevant or equivalent discipline and shall have first class in the preceding degrees.

- (3) For existing faculty members who completed their Ph.D. along-with their normal teaching load of Institute or quality improvement programme, the enrolment period of Ph.D. will be counted as teaching experience.
- (4) Contribution to Institute Administration shall be recommended by concerned Head or Chairman and approved by the Director. Contribution to departmental Administration shall be recommended by concerned Head and approved by the Director.
- (5) For the departments which are not having any vacancy, movement in higher Academic Grade Pay or cadre shall be carried out as per specified selection process but it will be restricted to only for serving faculty members of the respective departments.
- (6) The permanent faculty members who have put in more than ten years experience, but have not acquired Ph.D. qualification as on the date of these notification shall be mapped into four-tier flexible system as one time measure as per following norms:
- (a) Permanent faculty with age fifty or above:
- (i) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs. 7000 shall be mapped at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs. 8000, provided they have at least 10 credit points in their lifetime.
- (ii) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs.8000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs. 9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime.
- (iii) The Associate Professors with Academic Grade Pay of Rs. 9000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs. 9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime:
- Provided, they have been found suitable through a Selection Committee duly constituted under the Statute.
- (b) Permanent faculty members less than fifty years of age shall be sponsored for Ph.D. in any of the Indian Institutes of Technology or National Institutes of Technology duly provided a facility to take study leave of three-years from their respective National Institute of Technology and on completion of the Ph.D., they shall compete to get into the four tier system as per the new recruitment rules.
- (7) For faculty in the department of Architecture following shall be essential qualification without insisting on credit point requirements at Assistant Professor level:
- (i) M.Arch. or M.Plan. with one year professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs. 6000;
- (ii) M.Arch. or M.Plan. with two years of professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs. 7000;
- (iii) For higher cadres the educational qualifications and credit point requirement shall remain same as given in the table for Engineering and Sciences.

Note 2: Credit Point System

The following shall be the credit point system:

S.No.	Activity	Credits points
1.	One external Sponsored Research and Development Projects completed or ongoing or Patent granted	8 credit points per project or 8 credit points per patent as inventor (in case of more than one person in a Project, the Principal Investigator gets 5 credit points and the rest to the divided equally among other members)
2.	Consultancy projects	2 credit points @ Rs.5 lakhs of consultancy, subject to maximum of 10 Credit points
3.	Ph.D. completed (including thesis submitted cases)	8 credit points per Ph.D. student (in case there are more than one supervisor, then the Guide (1 st Supervisor) gets 5 credit points per student and the rest to be divided equally among other supervisor
4.	One Journal papers in Science Citation Index or Scopus (Paid Journals not allowed)	4 point per paper since the last promotion. First author or Main supervisor will get 2 point and rest will be divided among others.

S.No.	Activity	Credits points
5.	One Conference paper indexed in Science Citation Index or Scopus or Web of science Conference or any internationally renowned conference	1 credit points per paper up to a maximum of 10 credit points. First author or Main Supervisor will get 0.6 and rest will be divided among the rest.
6.	Head of the Department, Dean, Chief Warden , Professor Incharge (Training and Placement), Advisor (Estate), Chief Vigilance Officer, PI (Exam), TEQIP (Coordinator)	2 points per semester up to a max of 16 credits points since the last promotion.
7.	Warden, Assistant wardens, Associate Dean, Chairman or Convener institute academic committees, Faculty In charge Computer Center or Information and Technology Services or Library or Admission or student activities and other Institutional activities	1 credit point per semester up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
8.	Chairman and Convener of different standing committee and special committee (Ex officio status will not be considered). Faculty incharges (Each for one year duration) of different Units or equivalent	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
9.	Departmental activities identified by Head of the Department like lab in charges, or department level committee for a minimum period of one year.	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
10.	Workshop or Faculty Development Program or short term courses of min 05 working days duration offered as coordinator or convener	2 credit points per course up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
11.	For conducting national programs like Global Initiative of Academic Networks etc. as course coordinator Program of two weeks duration Program of one week duration	2 credit points per course up to a maximum of 4 credit points since the last promotion. 1 credit point per course up to a maximum of 2 credit points since the last promotion.
12.	National or International conference organized as Chairman or Secretary	3 credit points per program up a maximum of 6 credits points since the last promotion.
13.	Length of service over and above the relevant minimum teaching experience required for a given cadre	2 credit points per semester with maximum of 10 credit points since the last promotion.
14.	Establishment of New Lab(s)	4 credit points since the last promotion.
15.	Theory Teaching of over and above 6 credit hrs. course	1 credit point or credit hrs. up to a maximum of 6 credit points since the last promotion.
16.	Post Graduate Dissertation guided	0.5 credit point per project to a maximum of 10 points since the last promotion.
17.	Under Graduate Projects	0.25 credit point per project up to a maximum of 4 points since the last promotion.

S.No.	Activity	Credits points
18.	Text or Reference Books published on relevant subjects from reputed international publishers	6 credit points per book up to a maximum of 18 points since the last promotion.
19.	Text or Reference book published on relevant subjects from reputed national publishers or book chapters in the books published by reputed international publishers	2 credit points per unit up to a maximum of 6 points since the last promotion.
20.	Significant outreach Institute out activities	1 credit point per activity up to a maximum of 4 credit points since the last promotion.
21.	Fellow IEEE, FNA, FNAE, FNASc	10 credit points
22.	Placement percentage (only for the placement cell officers or Faculty incharge of Placement)	
	Above 85%	4 credit points per year upto a maximum of 20 points since the last promotion.
	75% - 84% (% to be based on total number of students passing out and single job offer)	2 credit points per year upto a maximum of 10 points since the last promotion.

[F. No. 33-10/2014 -TS. III]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy.

Note: The principal Statutes were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 293(E), dated the 24th March, 2017.